

मुख्यालय, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्र संख्या-319-एलाटमेंट 2014-15/18651-53

दिनांक : 15 जुलाई, 2014

सेवा में,

अधीक्षक,
जिला कारागार,
लखनऊ।

विषय:- जिला कारागार लखनऊ के विचाराधीन बंदी कौशल कुमार सिंह पुत्र श्री रघुराज सिंह की दिनांक 06-06-2011 को हुयी मृत्यु प्रकरण में मा0 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की संस्तुति के अनुसार मृतक बंदी के निकटस्थ आश्रितों/उत्तराधिकारियों को रू0 3,00,000/- (रू0 तीन लाख मात्र) के मुआवजे का भुगतान किये जाने हेतु बजट का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-944जे0/22-3-14-284एचआरसी /2011, दिनांक 08-07-2014 द्वारा जिला कारागार लखनऊ के विचाराधीन बंदी कौशल कुमार सिंह पुत्र श्री रघुराज सिंह की दिनांक 06-06-2011 को हुयी मृत्यु प्रकरण में मा0 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की संस्तुति के अनुसार मृतक बंदी के निकटस्थ आश्रितों/उत्तराधिकारियों को रू0 3,00,000/- (रू0 तीन लाख मात्र) की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी है। उक्त के क्रम में मुख्यालय के आदेश पृ0 संख्या-18578-83(5)/मा0अनु0(9)224-2011, दिनांक 15-07-2014 द्वारा रू0 3,00,000/- (रू0 तीन लाख मात्र) के मुआवजों के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

अतः वित्तीय वर्ष 2014-15 में उक्त मुआवजे के भुगतान हेतु संलग्न आवंटन आदेश संख्या-319-एलाटमेंट 2014-15/18651-53, दिनांक 15-07-2014 में अंकित मानक मद में उपरोक्त शासनादेश में उल्लिखित शर्तों एवं निर्देशों के अधीन बजट का आवंटन अनुदान संख्या-25 लेखाशीर्षक-2056-जेलें-आयोजनेत्तर-101-जेल-03-समस्त कारागार के अन्तर्गत रू0 3,00,000/- (रू0 तीन लाख मात्र) किया जाता है।

उक्त आवंटन को आवंटन रजिस्टर के पृष्ठ-92 पर अंकित कर लिया गया है।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

(शिवाकान्त शुक्ल)
वित्त नियंत्रक।

पृ0सं0- 319-एलाटमेंट 2014-15/18651-53 तददिनांकित-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- पोस्ट 1. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट, लखनऊ। (संलग्नक-यथोपरि।)
- पोस्ट 2. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी (प्रथम), सी0पी0एण्ड जेल्स, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद। (संलग्नक-यथोपरि।)
3. उप सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4, लखनऊ। (संलग्नक-यथोपरि।)
4. शोध अधिकारी, मुख्यालय को विभागीय वेब साइट के उपयोगार्थ प्रेषित। (संलग्नक-यथोपरि।)
5. प्रशासनिक अधिकारी, मानवाधिकार अनुभाग, मुख्यालय। (संलग्नक-यथोपरि।)

(शिवाकान्त शुक्ल)
वित्त नियंत्रक।

कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं

आवंटन आदेश संख्या: 319-Allotment 2014-15/18651-53

आवंटन तिथि: 15/07/2014

कोषागार: 43 - लखनऊ कलेक्ट्रेट

वित्तीय वर्ष: 2014-2015

अधिकारी / जनपद का संख्या: 2475 - कारागार अधीक्षक

अधिकारी कार्यालय संख्या: 01 - -

अनुदान संख्या: 25 - गृह विभाग (कारागार)

लेखाशीर्षक: 2056 - जेल

101 - जेल

03 - समस्त कारागार

आयोजनेतर-मतदेय

कोषागार: लखनऊ कलेक्ट्रेट

(धनराशि रुपये में)

मानक मद	पूर्व आवंटन	वर्तमान आवंटन	प्रगामी आवंटन
42 - अन्य व्यय	400000	300000	700000
योग :	400000	300000	700000

(शिवाकांत शुक्ल)
वित्त नियंत्रक

मुख्यालय, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्र संख्या-318-एलाटमेंट 2014-15/18651-53

दिनांक : 15 जुलाई, 2014

सेवा में,

अधीक्षक,
जिला कारागार,
मैनपुरी।

विषय:- जिला कारागार मैनपुरी के विचाराधीन बंदी गोविन्द पुत्र श्री नेत्रपाल की दिनांक 17/18-12-2011 को हुयी मृत्यु प्रकरण में मा0 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की संस्तुति के अनुसार मृतक बंदी के निकटस्थ आश्रितों/उत्तराधिकारियों को रू0 3,00,000/- (रू0 तीन लाख मात्र) के मुआवजे का भुगतान किये जाने हेतु बजट का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-739जे0/22-3-14-254एचआरसी /2011, दिनांक 08-07-2014 द्वारा जिला कारागार मैनपुरी के विचाराधीन बंदी गोविन्द पुत्र श्री नेत्रपाल की दिनांक 17/18-12-2011 को हुयी मृत्यु प्रकरण में मा0 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की संस्तुति के अनुसार मृतक बंदी के निकटस्थ आश्रितों/उत्तराधिकारियों को रू0 3,00,000/- (रू0 तीन लाख मात्र) की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी है। उक्त के क्रम में मुख्यालय के आदेश पृ0 संख्या-18588-94(6)/मा0अनु0(9)273-2011, दिनांक 15-07-2014 द्वारा रू0 3,00,000/- (रू0 तीन लाख मात्र) के मुआवजे के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

अतः वित्तीय वर्ष 2014-15 में उक्त मुआवजे के भुगतान हेतु संलग्न आवंटन आदेश संख्या-318-एलाटमेंट 2014-15/18651-53, दिनांक 15-07-2014 में अंकित मानक मद में उपरोक्त शासनादेश में उल्लिखित शर्तों एवं निर्देशों के अधीन बजट का आवंटन अनुदान संख्या-25 लेखाशीर्षक-2056-जेलें-आयोजनेत्तर-101-जेल-03-समस्त कारागार के अन्तर्गत रू0 3,00,000/- (रू0 तीन लाख मात्र) किया जाता है।

उक्त आवंटन को आवंटन रजिस्टर के पृष्ठ-96 पर अंकित कर लिया गया है।
संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

(शिवाकान्त शुक्ल)
वित्त नियंत्रक।

पृ0सं0- 318-एलाटमेंट 2014-15/18651-53 तददिनांकित-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- स्पीड पोस्ट 1. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, मैनपुरी। (संलग्नक-यथोपरि।)
- स्पीड पोस्ट 2. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी (प्रथम), सी0पी0एण्ड जेल्स, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद। (संलग्नक-यथोपरि।)
3. उप सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4, लखनऊ। (संलग्नक-यथोपरि।)
4. शोध अधिकारी, मुख्यालय को विभागीय वेब साइट के उपयोगार्थ प्रेषित। (संलग्नक-यथोपरि।)
5. प्रशासनिक अधिकारी, मानवाधिकार अनुभाग, मुख्यालय। (संलग्नक-यथोपरि।)

(शिवाकान्त शुक्ल)
वित्त नियंत्रक।

कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं

आवंटन आदेश संख्या: 318-Allotment 2014-15/18651-53

आवंटन तिथि: 15/07/2014

कोषागार: 09 - मैनपुरी

वित्तीय वर्ष: 2014-2015

अधिकारी / जनपद का संख्या: 2475 - कारागार अधीक्षक

अधिकारी कार्यालय संख्या: 01 - -

अनुदान संख्या: 25 - गृह विभाग (कारागार)

लेखाशीर्षक: 2056 - जेल

101 - जेल

03 - समस्त कारागार

कोषागार: मैनपुरी

आयोजनेतर-मतदेय
(धनराशि रुपये में)

मानक मद	पूर्व आवंटन	वर्तमान आवंटन	प्रगामी आवंटन
42 - अन्य व्यय	250000	300000	550000
योग :	250000	300000	550000

(शिवाकांत शुक्ल)
वित्त नियंत्रक

मुख्यालय, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्र संख्या-317-एलाटमेंट 2014-15/17654-56
सेवा में,

दिनांक : 15-07-2014

अधीक्षक
जिला कारागार, मिर्जापुर।

विषय:- वित्तीय वर्ष 2014-15 में बजट का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-957/मु0का0/2014, दिनांक 09-07-2014 के सन्दर्भ में वित्तीय वर्ष 2014-15 में संलग्न आवंटन आदेश संख्या -317-एलाटमेंट 2014-15/17654-56, दिनांक 15-07-2014 में अंकित मानक मद में बजट का आवंटन अनुदान संख्या-25 लेखाशीर्षक-2056-जेलें-आयोजनेत्तर-101-जेल-03 -समस्त कारागार के अन्तर्गत कुल रू0 50,000/- (रू0 पचास हजार मात्र) किया जाता है।

बजट का आवंटन मात्र व्यय के लिये पर्याप्त आधार नहीं है, बल्कि व्यय के पूर्व प्रथम आवंटन आदेश में अंकित शर्तों/निर्देशों, सम्बन्धित शासनादेशों एवं वित्तीय नियमों का कड़ाई से अनुपालन किया जाये, जिन मामलों में सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी हो, उनमें ऐसी स्वीकृति पूर्व में अवश्य प्राप्त कर ली जाये तथा व्यय को प्राधिकृत विनियोग के भीतर ही रखा जाना सुनिश्चित किया जाए।

उक्त आवंटन को आवंटन रजिस्टर के पृष्ठ-100 पर अंकित कर लिया गया है।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

(शिवाकान्त शुक्ल)
वित्त नियंत्रक।

पृ0सं0- 317-एलाटमेंट 2014-15/17654-56

तददिनांकित-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

स्पीड पोस्ट
स्पीड पोस्ट

1. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, मिर्जापुर। (संलग्नक-यथोपरि।)
2. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी (प्रथम), सी0पी0एण्ड जेल्स, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद। (संलग्नक-यथोपरि।)
3. उप सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4, लखनऊ। (संलग्नक-यथोपरि।)
4. शोध अधिकारी, मुख्यालय को विभागीय वेब साइट के उपयोगार्थ प्रेषित। (संलग्नक-यथोपरि।)

(शिवाकान्त शुक्ल)
वित्त नियंत्रक

कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं

आवंटन आदेश संख्या: 317-Allotment 2014-15/18533-34

कोषागार: 28 - मिर्जापुर

अधिकारी / जनपद का संख्या: 2475 - कारागार अधीक्षक

अनुदान संख्या: 25 - गृह विभाग (कारागार)

लेखाशीर्षक: 2056 - जेले

101 - जेल

03 - समस्त कारागार

आवंटन तिथि:

15/07/2014

वित्तीय वर्ष: 2014-2015

अधिकारी कार्यालय

संख्या: 01 - -

कोषागार: मिर्जापुर

आयोजनेतर-मतदेय
(धनराशि रुपये में)

मानक मद	पूर्व आवंटन	वर्तमान आवंटन	प्रगामी आवंटन
39 - औषधि तथा रसायन	300000	50000	350000
योग :	300000	50000	350000

(शिवाकांत शुक्ल)
वित्त नियंत्रक

मुख्यालय, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्र संख्या-320-एलाटमेंट 2014-15/18651-53

दिनांक : 15 जुलाई, 2014

सेवा में,

अधीक्षक,
जिला कारागार,
सिद्धार्थनगर।

विषय:- जिला कारागार सिद्धार्थनगर के सिद्धदोष बंदी अमरनाथ पुत्र श्री तुलसीराम यादव की दिनांक 17-01-2010 को हुयी मृत्यु प्रकरण में मा0 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की संस्तुति के अनुसार मृतक बंदी के निकटस्थ आश्रितों/उत्तराधिकारियों को रू0 3,00,000/- (रू0 तीन लाख मात्र) के मुआवजे का भुगतान किये जाने हेतु बजट का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-513जे0/22-3-14-82एचआरसी/2010, दिनांक 08-07-2014 द्वारा जिला कारागार सिद्धार्थनगर के सिद्धदोष बंदी अमरनाथ पुत्र श्री तुलसीराम यादव की दिनांक 17-01-2010 को हुयी मृत्यु प्रकरण में मा0 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की संस्तुति के अनुसार मृतक बंदी के निकटस्थ आश्रितों/उत्तराधिकारियों को रू0 3,00,000/- (रू0 तीन लाख मात्र) की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी है। उक्त के क्रम में मुख्यालय के आदेश पृ0 संख्या-18595-600(5)/मा0अनु0(9)20-2010, दिनांक 15-07-2014 द्वारा रू0 3,00,000/- (रू0 तीन लाख मात्र) के मुजावजे के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

अतः वित्तीय वर्ष 2014-15 में उक्त मुआवजे के भुगतान हेतु संलग्न आवंटन आदेश संख्या-320-एलाटमेंट 2014-15/18651-53, दिनांक 15-07-2014 में अंकित मानक मद में उपरोक्त शासनादेश में उल्लिखित शर्तों एवं निर्देशों के अधीन बजट का आवंटन अनुदान संख्या-25 लेखाशीर्षक-2056-जेलें-आयोजनेत्तर-101-जेल-03-समस्त कारागार के अन्तर्गत रू0 3,00,000/- (रू0 तीन लाख मात्र) किया जाता है।

उक्त आवंटन को आवंटन रजिस्टर के पृष्ठ-132 पर अंकित कर लिया गया है।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

(शिवाकान्त शुक्ल)
वित्त नियंत्रक।

पृ0सं0- 320-एलाटमेंट 2014-15/18651-53 तद्दिनांकित-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, सिद्धार्थनगर। (संलग्नक-यथोपरि।)
2. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी (प्रथम), सी0पी0एण्ड जेल्स, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद। (संलग्नक-यथोपरि।)
3. उप सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4, लखनऊ। (संलग्नक-यथोपरि।)
4. शोध अधिकारी, मुख्यालय को विभागीय वेब साइट के उपयोगार्थ प्रेषित। (संलग्नक-यथोपरि।)
5. प्रशासनिक अधिकारी, मानवाधिकार अनुभाग, मुख्यालय। (संलग्नक-यथोपरि।)

(शिवाकान्त शुक्ल)
वित्त नियंत्रक।

कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं

आवंटन आदेश संख्या: 320-Allotment 2014-15/18651-53

आवंटन तिथि: 15/07/2014

कोषागार: 67 - सिद्धार्थनगर

वित्तीय वर्ष: 2014-2015

अधिकारी / जनपद का संख्या: 2475 - कारागार अधीक्षक

अधिकारी कार्यालय संख्या: 01 - -

अनुदान संख्या: 25 - गृह विभाग (कारागार)

लेखाशीर्षक: 2056 - जेल

101 - जेल

03 - समस्त कारागार

आयोजनेतर-मतदेय
(धनराशि रुपये में)

कोषागार: सिद्धार्थनगर

मानक मद	पूर्व आवंटन	वर्तमान आवंटन	प्रगामी आवंटन
42 - अन्य व्यय	250000	300000	550000
योग :	250000	300000	550000

(शिवाकांत शुक्ल)
वित्त नियंत्रक

मुख्यालय, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्र संख्या-316-एलाटमेंट 2014-15/17654-56

दिनांक : 15-07-2014

सेवा में,

आहरण वितरण अधिकारी,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषय:-वित्तीय वर्ष 2014-15 में बजट का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-183/22-4-14-13जी/11, दिनांक 14.03.2014 द्वारा 14 डाटा इन्ट्री आपरेटर स्तर के तकनीशियन की संविदा की धनराशि 13,640/-प्रति माह तथा सर्विस टैक्स एवं शुल्क प्रति मैनपावर की स्वीकृति प्रदान की गयी है, जो एनआईसी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव दिनांक 20.08.2013 के अनुक्रम में आंकलित है। इस प्रकार 14 मैनपावर की व्यवस्था हेतु एक वर्ष की अवधि के लिये रू0 25,74,760/-की स्वीकृति प्रदान की गयी है। वित्तीय वर्ष 2013-14 में दिनांक 01.08.2013 से 31.03.2014 तक 08 माह की अवधि के लिये व्यय की धनराशि रू0 17,16,507/-का भुगतान निक्सी नई दिल्ली के पक्ष में किया जा चुका है। शेष 04 माह दिनांक 01.04.2014 से 31.07.2014 तक की अवधि में व्यय की धनराशि रू0 8,58,253/-के भुगतान की स्वीकृति मुख्यालय के आदेश पृ0संख्या-17986-95/आधु0-1, दिनांक 14.07.2014 द्वारा प्रदान की गयी है।

उक्त के अनुक्रम में वित्तीय वर्ष 2014-15 में संलग्न आवंटन आदेश संख्या-316-एलाटमेंट 2014-15/18533-34, दिनांक 15-07-2014 में अंकित मानक मद में बजट का आवंटन अनुदान संख्या-25 लेखाशीर्षक-2056-जेलें-आयोजनेत्तर-101-जेल-03-समस्त कारागार के अन्तर्गत कुल रू0 8,58,253/- (रू0 आठ लाख अट्ठावन हजार दो सौ तिरपन मात्र) किया जाता है।

बजट का आवंटन मात्र व्यय के लिये पर्याप्त आधार नहीं है, बल्कि व्यय के पूर्व प्रथम आवंटन आदेश में अंकित शर्तों/निर्देशों, सम्बन्धित शासनादेशों एवं वित्तीय नियमों का कड़ाई से अनुपालन किया जाये, जिन मामलों में सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी हो, उनमें ऐसी स्वीकृति पूर्व में अवश्य प्राप्त कर ली जाये तथा व्यय को प्राधिकृत विनियोग के भीतर ही रखा जाना सुनिश्चित किया जाए।

उक्त आवंटन को आवंटन रजिस्टर के पृष्ठ-142 पर अंकित कर लिया गया है।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

(शिवाकान्त शुक्ल)
वित्त नियंत्रक।

पृ0सं0- 316-एलाटमेंट 2014-15/18533-34 . तददिनांकित-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ। (संलग्नक-यथोपरि।)
2. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी (प्रथम), सी0पी0एण्ड जेल्स, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद। (संलग्नक-यथोपरि।)
3. उप सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4, लखनऊ। (संलग्नक-यथोपरि।)
4. शोध अधिकारी, मुख्यालय को विभागीय वेब साइट के उपयोगार्थ प्रेषित। (संलग्नक-यथोपरि।)
5. प्रशासनिक अधिकारी, आधुनिकीकरण अनुभाग, मुख्यालय। (संलग्नक-यथोपरि।)

(शिवाकान्त शुक्ल)
वित्त नियंत्रक

कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं

आवंटन आदेश संख्या: 316-Allotment
2014-15/18533-34

आवंटन तिथि: 15/07/2014

कोषागार: 60 - जवाहर भवन, लखनऊ

वित्तीय वर्ष: 2014-2015

अधिकारी / जनपद का संख्या: 2471 -
महानिरीक्षक, कारागार

अधिकारी कार्यालय संख्या: 01 -

अनुदान संख्या: 25 - गृह विभाग (कारागार)

महानिरीक्षक कारागार - लखनऊ

लेखाशीर्षक: 2056 - जेल

101 - जेल

03 - समस्त कारागार

कोषागार: जवाहर भवन, लखनऊ

आयोजनेतर-मतदेय
(धनराशि रुपये में)

मानक मद	पूर्व आवंटन	वर्तमान आवंटन	प्रगामी आवंटन
42 - अन्य व्यय	0	858253	858253
योग :	0	858253	858253

(शिवाकांत शुक्ल)
वित्त नियंत्रक

मुख्यालय, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

दिनांक : 16 जुलाई, 2014

पत्र संख्या-321-एलाटमेंट 2014-15/19424-48

सेवा में,

वरिष्ठ अधीक्षक,
केन्द्रीय कारागार,
फतेहगढ़।

विषय:-

केन्द्रीय कारागार फतेहगढ़ के सिद्धदोष बंदी अशोक कुर्मी पुत्र श्री देशराज की दिनांक 08-06-2012 को हुयी मृत्यु प्रकरण में मा0 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की संस्तुति के अनुसार मूलक बंदी के निकटस्थ आश्रितों/उत्तराधिकारियों को रू0 1,00,000/- (रू0 एक लाख मात्र) के मुआवजे का भुगतान किये जाने हेतु बजट का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-73रा0मा0/22-3-14-290एचआरसी/2012, दिनांक 08-07-2014 द्वारा केन्द्रीय कारागार फतेहगढ़ के सिद्धदोष बंदी अशोक कुर्मी पुत्र श्री देशराज की दिनांक 08-06-2012 को हुयी मृत्यु प्रकरण में मा0 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की संस्तुति के अनुसार मूलक बंदी के निकटस्थ आश्रितों/उत्तराधिकारियों को रू0 1,00,000/- (रू0 एक लाख मात्र) की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी है। उक्त के क्रम में मुख्यालय के आदेश पृ0 संख्या-18762-67(6)/मा0अनु0(1)358/2012, दिनांक 15-07-2014 द्वारा रू0 1,00,000/- (रू0 एक लाख मात्र) के मुआवजे के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

अतः वित्तीय वर्ष 2014-15 में उक्त मुआवजे के भुगतान हेतु संलग्न आवंटन आदेश संख्या-321-एलाटमेंट 2014-15/19424-48, दिनांक 18-07-2014 में अंकित मानक मद में उपरोक्त शासनादेश में उल्लिखित शर्तों एवं निर्देशों के अधीन बजट का आवंटन अनुदान संख्या-25 लेखाशीर्षक-2056-जेलें-आयोजनेत्तर-101-जेल-03-समस्त कारागार के अन्तर्गत रू0 1,00,000/- (रू0 एक लाख मात्र) किया जाता है।

उक्त आवंटन को आवंटन रजिस्टर के पृष्ठ-132 पर अंकित कर लिया गया है।
संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

(शिवाकान्त शुक्ल)
वित्त नियंत्रक।

पृ0सं0- 321-एलाटमेंट 2014-15/19424-48 तददिनांकित-

- स्पीड पोस्ट 1. प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-
स्पीड पोस्ट 2. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, फर्रुखाबाद। (संलग्नक-यथोपरि।)
3. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी (प्रथम), सी0पी0एण्ड जेल्स, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद। (संलग्नक-यथोपरि।)
4. उप सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4, लखनऊ। (संलग्नक-यथोपरि।)
5. शोध अधिकारी, मुख्यालय को विभागीय वेब साइट के उपयोगार्थ प्रेषित। (संलग्नक-यथोपरि।)
6. प्रशासनिक अधिकारी, मानवाधिकार अनुभाग, मुख्यालय। (संलग्नक-यथोपरि।)

(शिवाकान्त शुक्ल)
वित्त नियंत्रक।

कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं

आवंटन आदेश संख्या: 321-Allotment 2014-15/19424-48

आवंटन तिथि:
16/07/2014

कोषागार: 18 - फरेखावादा

वित्तीय वर्ष: 2014-2015

अधिकारी / जनपद का संख्या: 2477 - वरिष्ठ अधीक्षक, अधिकारी कार्यालय
सेंट्रल जेल

संख्या: 01 --

अनुदान संख्या: 25 - गृह विभाग (कारागार)

लेखाशीर्षक: 2056 - जेले

101 - जेल

03 - समस्त कारागार

आयोजनेतर-मतदेय
(धनराशि रुपये में)

कोषागार: फरेखावादा

मानक मद	पूर्व आवंटन	वर्तमान आवंटन	प्रगामी आवंटन
42 - अन्य व्यय	500000	100000	600000
योग :	500000	100000	600000

(शिवाकांत शुक्ल)
वित्त नियंत्रक

मुख्यालय, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्र संख्या-349-एलाटमेंट 2014-15/20015-17

दिनांक : 22 जुलाई, 2014

सेवा में,

अधीक्षक

नारी बंदी निकेतन लखनऊ।

विषय:- वित्तीय वर्ष 2014-15 में बजट का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यालय के पृ0पत्र संख्या-19961/शोध एवं प्र0सु0अनु0, दिनांक 21-07-2014 के सन्दर्भ में नारी बंदी निकेतन लखनऊ में निरूद्ध महिला बंदी सुश्री पूजा की शिक्षा हेतु वित्तीय वर्ष 2014-15 में संलग्न आवंटन आदेश संख्या-349-एलाटमेंट 2014-15/20015-17, दिनांक 22-07-2014 में अंकित मानक मद में बजट का आवंटन अनुदान संख्या-25 लेखाशीर्षक-2056-जेल-आयोजनेत्तर-101-जेल-03-समस्त कारागार के अन्तर्गत कुल रू0 15,000/- (रू0 पन्द्रह हजार मात्र) किया जाता है।

बजट का आवंटन मात्र व्यय के लिये पर्याप्त आधार नहीं है, बल्कि व्यय के पूर्व प्रथम आवंटन आदेश में अंकित शर्तों/निर्देशों, सम्बन्धित शासनादेशों एवं वित्तीय नियमों का कड़ाई से अनुपालन किया जाये, जिन मामलों में सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी हो, उनमें ऐसी स्वीकृति पूर्व में अवश्य प्राप्त कर ली जाये तथा व्यय को प्राधिकृत विनियोग के भीतर ही रखा जाना सुनिश्चित किया जाए।

उक्त आवंटन को आवंटन रजिस्टर के पृष्ठ-140 पर अंकित कर लिया गया है।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

(शिवाकान्त शुक्ल)

वित्त नियंत्रक।

पृ0सं0- 349-एलाटमेंट 2014-15/20015-17 तददिनांकित-

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-
1. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट लखनऊ। (संलग्नक-यथोपरि।)
 2. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी (प्रथम), सी0पी0एण्ड जेल्स, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद। (संलग्नक-यथोपरि।)
 3. उप सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4, लखनऊ। (संलग्नक-यथोपरि।)
 4. शोध अधिकारी, मुख्यालय को विभागीय वेब साइट के उपयोगार्थ प्रेषित। (संलग्नक-यथोपरि।)
 5. प्रशासनिक अधिकारी, प्रशासनिक सुधार अनुभाग, मुख्यालय। (संलग्नक-यथोपरि।)

145
शोध अधिकारी/कोषाधिकारी

23.7.2014

23/7/2014

(शिवाकान्त शुक्ल)

वित्त नियंत्रक।

कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं

आवंटन आदेश संख्या: 349-Allotment 2014-15/20015-17

आवंटन तिथि:
22/07/2014

कोषागार: 43 - लखनऊ कलेक्ट्रेट

वित्तीय वर्ष: 2014-2015

अधिकारी / जनपद का संख्या: 2476 - अधीक्षक - नारी अधिकारी कार्यालय
बन्दी निकेतन

संख्या: 01 --

अनुदान संख्या: 25 - गृह विभाग (कारागार)
लेखाशीर्षक: 2056 - जेल
101 - जेल
03 - समस्त कारागार

कोषागार: लखनऊ कलेक्ट्रेट

आयोजनेतर-मनदेय
(धनराशि रुपये में)

मानक मद	पूर्व आवंटन	वर्तमान आवंटन	प्रगामी आवंटन
42 - अन्य व्यय	200000	15000	215000
योग :	200000	15000	215000

(शिवाकांत शुक्ल)
वित्त नियंत्रक

मुख्यालय, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्र संख्या-346-एलाटमेंट 2014-15/20015-17.

दिनांक : 22 जुलाई, 2014

सेवा में,

अधीक्षक

जिला कारागार, कानपुर नगर।

विषय:- वित्तीय वर्ष 2014-15 में बजट का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यालय के पृ0पत्र संख्या-18470/आधु-1(30)/2014, दिनांक 15-07-2014 के सन्दर्भ में कारागार में स्थापित वीडियो कान्फ्रेन्सिंग सिस्टम को सुचारु रूप से संचालन हेतु यूपीएस की बैट्रियों की मरम्मत/बाइबैक के आधार पर पुनर्स्थापन पत्र में अंकित शर्तों एवं निर्देशों के अधीन कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2014-15 में संलग्न आवंटन आदेश संख्या-346-एलाटमेंट 2014-15/20015-17, दिनांक 22-07-2014 में अंकित मानक मद में बजट का आवंटन अनुदान संख्या-25 लेखाशीर्षक-2056-जेलें-आयोजनेत्तर-101-जेल-03-समस्त कारागार के अन्तर्गत कुल रु0 40,680/- (रु0 चालीस हजार छः सौ अरसी मात्र) किया जाता है।

बजट का आवंटन मात्र व्यय के लिये पर्याप्त आधार नहीं है, बल्कि व्यय के पूर्व प्रथम आवंटन आदेश में अंकित शर्तों/निर्देशों, सम्बन्धित शासनादेशों एवं वित्तीय नियमों का कड़ाई से अनुपालन किया जाये, जिन मामलों में सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी हो, उनमें ऐसी स्वीकृति पूर्व में अवश्य प्राप्त कर ली जाये तथा व्यय को प्राधिकृत विनियोग के भीतर ही रखा जाना सुनिश्चित किया जाए।

उक्त आवंटन को आवंटन रजिस्टर के पृष्ठ-84 पर अंकित कर लिया गया है।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

(शिवाकान्त शुक्ल)
वित्त नियंत्रक।

पृ0सं0- ¹¹⁴ 346-एलाटमेंट 2014-15/20015-17 तददिनांकित-

स्पीड पोस्ट
स्पीड पोस्ट

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-
1. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, कानपुर नगर। (संलग्नक-यथोपरि।)
 2. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी (प्रथम), सी0पी0एण्ड जेल्स, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद। (संलग्नक-यथोपरि।)
 3. उप सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4, लखनऊ। (संलग्नक-यथोपरि।)
 4. शोध अधिकारी, मुख्यालय को विभागीय वेब साइट के उपयोगार्थ प्रेषित। (संलग्नक-यथोपरि।)
 5. प्रशासनिक अधिकारी, आधुनिकीकरण अनुभाग, मुख्यालय। (संलग्नक-यथोपरि।)

146

श्री. म. 30/6/14
28-7-2014

(शिवाकान्त शुक्ल)
वित्त नियंत्रक

कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं

आवंटन आदेश संख्या: 347-Allotment 2014-15/20015-17

आवंटन तिथि: 22/07/2014

कोषागार: 20 - कानपुर नगर

वित्तीय वर्ष: 2014-2015

अधिकारी / जनपद का संख्या: 2475 - कारागार अधीक्षक

अधिकारी कार्यालय संख्या: 01 - -

अनुदान संख्या: 25 - गृह विभाग (कारागार)

लेखाशीर्षक: 2056 - जेल

101 - जेल

03 - समस्त कारागार

आयोजनेतर-मतदेय
(धनराशि रुपये में)

कोषागार: कानपुर नगर

मानक मद	पूर्व आवंटन	वर्तमान आवंटन	प्रगामी आवंटन
29 - अनुरक्षण	25000	40680	65680
योग :	25000	40680	65680

(शिवाकांत शुक्ल)
वित्त नियंत्रक

मुख्यालय, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्र संख्या-348-एलाटमेंट 2014-15/20015-17

दिनांक : 22 जुलाई, 2014

सेवा में,

वरिष्ठ अधीक्षक

जिला कारागार, बोंदा।

विषय:- वित्तीय वर्ष 2014-15 में बजट का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यालय के पत्र संख्या-19834/आधु-1(10)/2014, दिनांक 17-07-2014 के सन्दर्भ में कारागार अस्पताल के उपयोगार्थ साज-सज्जा सामग्री/उपकरणों का क्रय, पत्र में अंकित शर्तों एवं निर्देशों के अधीन किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2014-15 में संलग्न आवंटन आदेश संख्या-348-एलाटमेंट 2014-15/20015-17, दिनांक 22-07-2014 में अंकित मानक मद में बजट का आवंटन अनुदान संख्या-25 लेखाशीर्षक-2056-जेलें-आयोजनेत्तर-101-जेल-03-समस्त कारागार के अन्तर्गत कुल रु0 1,01,630/- (रु0 एक लाख एक हजार छः सौ तीस मात्र) किया जाता है।

बजट का आवंटन मात्र व्यय के लिये पर्याप्त आधार नहीं है, बल्कि व्यय के पूर्व प्रथम आवंटन आदेश में अंकित शर्तों/निर्देशों, सम्बन्धित शासनादेशों एवं वित्तीय नियमों का कड़ाई से अनुपालन किया जाये, जिन मामलों में सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी हो, उनमें ऐसी स्वीकृति पूर्व में अवश्य प्राप्त कर ली जाये तथा व्यय को प्राधिकृत विनियोग के भीतर ही रखा जाना सुनिश्चित किया जाए।

उक्त आवंटन को आवंटन रजिस्टर के पृष्ठ-32 पर अंकित कर लिया गया है।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

(शिवाकान्त शुक्ल)
वित्त नियंत्रक।

पृ0सं0- 348-एलाटमेंट 2014-15/20015-17 तददिनांकित-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- स्वीड पोस्ट
स्वीड पोस्ट
1. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, बोंदा। (संलग्नक-यथोपरि।)
 2. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी (प्रथम), सी0पी0एण्ड जेल्स, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद। (संलग्नक-यथोपरि।)
 3. उप सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4, लखनऊ। (संलग्नक-यथोपरि।)
 4. शोध अधिकारी, मुख्यालय को विभागीय वेब साइट के उपयोगार्थ प्रेषित। (संलग्नक-यथोपरि।)
 5. प्रशासनिक अधिकारी, आधुनिकीकरण अनुभाग, मुख्यालय। (संलग्नक-यथोपरि।)

(शिवाकान्त शुक्ल)
वित्त नियंत्रक149
शिवाकान्त शुक्ल
23.7.2014

कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं

आवंटन आदेश संख्या: 348-Allotment 2014+15/20015-17
 कोषागार: 26 - बांदा
 अधिकारी / जनपद का संख्या: 2475 - कारागार अधीक्षक
 अनुदान संख्या: 25 - गृह विभाग (कारागार)
 लेखाशीर्षक: 2056 - जेल
 101 - जेल
 03 - समस्त कारागार
 कोषागार: बांदा

आवंटन तिथि: 22/07/2014
 वित्तीय वर्ष: 2014-2015
 अधिकारी कार्यालय संख्या: 01 - -
 आयोजनेतर-मतदेय
 (धनराशि रुपये में)

मानक मद	पूर्व आवंटन	वर्तमान आवंटन	प्रगामी आवंटन
40 - औषधालय सम्बन्धी आवश्यक सज्जा	0	101630	101630
योग :	0	101630	101630

(शिवाकांत शुक्ल)
 वित्त नियंत्रक

मुख्यालय, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्र संख्या-346-एलाटमेंट 2014-15/20015-17

दिनांक : 22 जुलाई, 2014

सेवा में,

आहरण वितरण अधिकारी,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषय:-वित्तीय वर्ष 2014-15 में बजट का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्तीय वर्ष 2014-15 में संलग्न आवंटन आदेश संख्या-346-एलाटमेंट 2014-15/20015-17, दिनांक 22-07-2014 में अंकित मानक मदों में बजट का आवंटन अनुदान संख्या-25 लेखाशीर्षक-2056-जेल-आयोजनेत्तर-001-03-निदेशन तथा प्रशासन के अन्तर्गत कुल ₹0 52,00,000/- (₹0 बावन लाख मात्र) किया जाता है।

बजट का आवंटन मात्र व्यय के लिये पर्याप्त आधार नहीं है, बल्कि व्यय के पूर्व प्रथम आवंटन आदेश में अंकित शर्तों/निर्देशों, सम्बन्धित शासनादेशों एवं वित्तीय नियमों का कड़ाई से अनुपालन किया जाये, जिन मामलों में सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी हो, उनमें ऐसी स्वीकृति पूर्व में अवश्य प्राप्त कर ली जाये तथा व्यय को प्राधिकृत विनियोग के भीतर ही रखा जाना सुनिश्चित किया जाए।

उक्त आवंटन को आवंटन रजिस्टर के पृष्ठ-162 पर अंकित कर लिया गया है।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

(शिवाकान्त शुक्ल)
वित्त नियंत्रक।

पू0सं0- ¹¹⁴ 346-एलाटमेंट 2014-15/20015-17 तददिनांकित-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ। (संलग्नक-यथोपरि।)
2. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी (प्रथम), सी0पी0एण्ड जेल्स, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद। (संलग्नक-यथोपरि।)
3. उप सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4, लखनऊ। (संलग्नक-यथोपरि।)
4. शोध अधिकारी, मुख्यालय को विभागीय वेब साइट के उपयोगार्थ प्रेषित। (संलग्नक-यथोपरि।)

148
23-7-14

(शिवाकान्त शुक्ल)
वित्त नियंत्रक।

कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं

आवंटन आदेश संख्या: 346-Allotment
2014-15/20015-17

आवंटन तिथि: 22/07/2014

कोषागार: 60 - जवाहर भवन, लखनऊ

वित्तीय वर्ष: 2014-2015

अधिकारी / जनपद का संख्या: 2471 -
महानिरीक्षक, कारागार

अधिकारी कार्यालय संख्या: 01 -

अनुदान संख्या: 25 - गृह विभाग (कारागार)

महानिरीक्षक कारागार - लखनऊ

लेखाशीर्षक: 2056 - जेले
001 - निदेशन तथा प्रशासन
03 - मुख्य--

आयोजनेतर-मतदेय
(धनराशि रुपये में)

कोषागार: जवाहर भवन, लखनऊ

मानक मद	पूर्व आवंटन	वर्तमान आवंटन	प्रगामी आवंटन
01 - वेतन	11237000	2200000	13437000
03 - मंहगाई भत्ता	11237000	2631000	13868000
06 - अन्य भत्ते	1348000	369000	1717000
योग :	23822000	5200000	29022000


(शिवाकांत शुक्ल)
वित्त नियंत्रक

मुख्यालय, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्र संख्या-465-एलाटमेंट 2014-15/21013-27

दिनांक : 01 अगस्त, 2014

सेवा में,

वरिष्ठ अधीक्षक,
जिला कारागार,
मुरादाबाद।

विषय:- जिला कारागार मुरादाबाद के सिद्धदोष/विचाराधीन बंदी बाबू पुत्र श्री रामसहाय की दिनांक 04-02-2010 को हुयी मृत्यु प्रकरण में मा0 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की संस्तुति के अनुसार मृतक बंदी के निकटस्थ आश्रितों/उत्तराधिकारियों को रू0 1,00,000/- (रू0 एक लाख मात्र) के मुआवजे का भुगतान किये जाने हेतु बजट का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-834जे0/22-3-14-37एचआरसी/2010, दिनांक 08-07-2014 द्वारा जिला कारागार मुरादाबाद के सिद्धदोष/विचाराधीन बंदी बाबू पुत्र श्री रामसहाय की दिनांक 04-02-2010 को हुयी मृत्यु प्रकरण में मा0 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की संस्तुति के अनुसार मृतक बंदी के निकटस्थ आश्रितों/उत्तराधिकारियों को रू0 1,00,000/- (रू0 एक लाख मात्र) की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी है। उक्त के कम में मुख्यालय के आदेश पृ0 संख्या-18654-59(6)/मा0अनु0(9)43-2010, दिनांक 15-07-2014 द्वारा रू0 1,00,000/- (रू0 एक लाख मात्र) के मुआवजे के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

अतः वित्तीय वर्ष 2014-15 में उक्त मुआवजे के भुगतान हेतु संलग्न आवंटन आदेश संख्या-465-एलाटमेंट 2014-15/21013-27, दिनांक 01-08-2014 में अंकित मानक मद में उपरोक्त शासनादेश में उल्लिखित शर्तों एवं निर्देशों के अधीन बजट का आवंटन अनुदान संख्या-25 लेखाशीर्षक-2056-जेलें-आयोजनेत्तर-101-जेल-03-समस्त कारागार के अन्तर्गत रू0 1,00,000/- (रू0 एक लाख मात्र) किया जाता है।

उक्त आवंटन को आवंटन रजिस्टर के पृष्ठ-102 पर अंकित कर लिया गया है।
संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

(शिवाकान्त शुक्ल)
वित्त नियंत्रक।

पृ0सं0- ¹²¹ 465-एलाटमेंट 2014-15/21013-27 तददिनांकित-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- स्वीड पोस्ट 1. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, मुरादाबाद। (संलग्नक-यथोपरि।)
- स्वीड पोस्ट 2. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी (प्रथम), सी0पी0एण्ड जेल्स, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद। (संलग्नक-यथोपरि।)
3. उप सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4, लखनऊ। (संलग्नक-यथोपरि।)
4. शोध अधिकारी, मुख्यालय को विभागीय वेब साइट के उपयोगार्थ प्रेषित। (संलग्नक-यथोपरि।)
5. प्रशासनिक अधिकारी, मानवाधिकार अनुभाग, मुख्यालय। (संलग्नक-यथोपरि।)

(शिवाकान्त शुक्ल)
वित्त नियंत्रक।

R
6/8

view

कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं

आवंटन आदेश संख्या: 465-Allotment 2014-
15/21013-27

आवंटन तिथि: 01/08/2014

कोषागार: 14 - मुरादाबाद

वित्तीय वर्ष: 2014-2015

अधिकारी / जनपद का संख्या: 2478 - वरिष्ठ
अधीक्षक, जेल

अधिकारी कार्यालय संख्या: 01 -
जिला कारागार

अनुदान संख्या: 25 - गृह विभाग (कारागार)

लेखाशीर्षक: 2056 - जेल

101 - जेल

03 - समस्त कारागार

आयोजनेत्तर-मतदेय
(धनराशि रुपये में)

कोषागार: मुरादाबाद

मानक मद

पूर्व आवंटन वर्तमान आवंटन प्रगामी आवंटन

42 - अन्य
व्यय

1000000

100000

1100000

योग :

1000000

100000

1100000

(शिवाकांत शुक्ल)
वित्त नियंत्रक

मुख्यालय, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्र संख्या-464-एलाटमेंट 2014-15/21013-27

दिनांक : 01 अगस्त, 2014

सेवा में,

अधीक्षक,
जिला कारागार,
खीरी।

विषय:- जिला कारागार खीरी के विचाराधीन बंदी प्रकाश पुत्र श्री तिलकराम की दिनांक 09-12-2012 को हुयी मृत्यु प्रकरण में मा0 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की संस्तुति के अनुसार मृतक बंदी के निकटस्थ आश्रितों/उत्तराधिकारियों को रू0 3,00,000/- (रू0 तीन लाख मात्र) के मुआवजे का भुगतान किये जाने हेतु बजट का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-756जे0/22-3-14-311एचआरसी/2012, दिनांक 08-07-2014 द्वारा जिला कारागार खीरी के विचाराधीन बंदी प्रकाश पुत्र श्री तिलकराम की दिनांक 09-12-2012 को हुयी मृत्यु प्रकरण में मा0 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की संस्तुति के अनुसार मृतक बंदी के निकटस्थ आश्रितों/उत्तराधिकारियों को रू0 3,00,000/- (रू0 तीन लाख मात्र) की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी है। उक्त के कम में मुख्यालय के आदेश पृ0 संख्या-19604-09(6)/मा0अनु0(2)336-2012, दिनांक 17-07-2014 द्वारा रू0 3,00,000/- (रू0 तीन लाख मात्र) के मुआवजे के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

अतः वित्तीय वर्ष 2014-15 में उक्त मुआवजे के भुगतान हेतु संलग्न आवंटन आदेश संख्या-464-एलाटमेंट 2014-15/21013-27, दिनांक 01-08-2014 में अंकित मानक मद में उपरोक्त शासनादेश में उल्लिखित शर्तों एवं निर्देशों के अधीन बजट का आवंटन अनुदान संख्या-25 लेखाशीर्षक-2056-जेल-आयोजनेत्तर-101-जेल-03-समस्त कारागार के अन्तर्गत रू0 3,00,000/- (रू0 तीन लाख मात्र) किया जाता है।

उक्त आवंटन को आवंटन रजिस्टर के पृष्ठ-86 पर अंकित कर लिया गया है।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

(शिवाकान्त शुक्ल)
वित्त नियंत्रक।

पृ0सं0- ¹²¹464-एलाटमेंट 2014-15/21013-27 तददिनांकित-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- स्पीड पोस्ट 1. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, खीरी। (संलग्नक-यथोपरि।)
- स्पीड पोस्ट 2. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी (प्रथम), सी0पी0एण्ड जेल्स, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद। (संलग्नक-यथोपरि।)
3. उप सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4, लखनऊ। (संलग्नक-यथोपरि।)
4. शोध अधिकारी, मुख्यालय को विभागीय वेब साइट के उपयोगार्थ प्रेषित। (संलग्नक-यथोपरि।)
5. प्रशासनिक अधिकारी, मानवाधिकार अनुभाग, मुख्यालय। (संलग्नक-यथोपरि।)

(शिवाकान्त शुक्ल)
वित्त नियंत्रक।

R
6/8

कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं

आवंटन आदेश संख्या: 464-Allotment 2014-15/21013-27

आवंटन तिथि: 01/08/2014

कोषागार: 48 - लखीमपुर खीरी

वित्तीय वर्ष: 2014-2015

अधिकारी / जनपद का संख्या: 2475 - कारागार अधीक्षक

अधिकारी कार्यालय संख्या: 01 --

अनुदान संख्या: 25 - गृह विभाग (कारागार)

लेखाशीर्षक: 2056 - जेल

101 - जेल

03 - समस्त कारागार

आयोजनेतर-मतदेय
(धनराशि रुपये में)

कोषागार: लखीमपुर खीरी

मानक मद	पूर्व आवंटन	वर्तमान आवंटन	प्रगामी आवंटन
42 - अन्य व्यय	750000	300000	1050000
योग :	750000	300000	1050000

(शिवाकांत शुक्ल)
वित्त नियंत्रक

मुख्यालय, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्र संख्या-463-एलाटमेंट 2014-15/21013-27

दिनांक : 01 अगस्त, 2014

सेवा में,

अधीक्षक,
जिला कारागार,
गाजियाबाद।

विषय:- जिला कारागार गाजियाबाद के विचाराधीन बंदी मुकेश पुत्र श्री रोहताश की दिनांक 08-04-2006 को हुयी मृत्यु प्रकरण में मा0 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की संस्तुति के अनुसार मृतक बंदी के निकटस्थ आश्रितों/उत्तराधिकारियों को रू0 2,00,000/- (रू0 दो लाख मात्र) के मुआवजे का भुगतान किये जाने हेतु बजट का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-67रा0मा0/22-3-14-62एचआरसी/2006, दिनांक 07-07-2014 द्वारा जिला कारागार गाजियाबाद के विचाराधीन बंदी मुकेश पुत्र श्री रोहताश की दिनांक 08-04-2006 को हुयी मृत्यु प्रकरण में मा0 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की संस्तुति के अनुसार मृतक बंदी के निकटस्थ आश्रितों/उत्तराधिकारियों को रू0 2,00,000/- (रू0 दो लाख मात्र) की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी है। उक्त के क्रम में मुख्यालय के आदेश पृ0 संख्या-19419-24(5)/मा0अनु0(1)64-2006, दिनांक 16-07-2014 द्वारा रू0 2,00,000/- (रू0 दो लाख मात्र) के मुआवजे के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

अतः वित्तीय वर्ष 2014-15 में उक्त मुआवजे के भुगतान हेतु संलग्न आवंटन आदेश संख्या-463-एलाटमेंट 2014-15/21013-27, दिनांक 01-08-2014 में अंकित मानक मद में उपरोक्त शासनादेश में उल्लिखित शर्तों एवं निर्देशों के अधीन बजट का आवंटन अनुदान संख्या-25 लेखाशीर्षक-2056-जेल-आयोजनेत्तर-101-जेल-03-समस्त कारागार के अन्तर्गत रू0 2,00,000/- (रू0 दो लाख मात्र) किया जाता है।

उक्त आवंटन को आवंटन रजिस्टर के पृष्ठ-74 पर अंकित कर लिया गया है।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

(शिवाकान्त शुक्ल)
वित्त नियंत्रक।

पृ0सं0- 463-एलाटमेंट 2014-15/21013-27 तददिनांकित-

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-
1. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, गाजियाबाद। (संलग्नक-यथोपरि।)
 2. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी (प्रथम), सी0पी0एण्ड जेल्स, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद। (संलग्नक-यथोपरि।)
 3. उप सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4, लखनऊ। (संलग्नक-यथोपरि।)
 4. शोध अधिकारी, मुख्यालय को विभागीय वेब साइट के उपयोगार्थ प्रेषित। (संलग्नक-यथोपरि।)
 5. प्रशासनिक अधिकारी, मानवाधिकार अनुभाग, मुख्यालय। (संलग्नक-यथोपरि।)

(शिवाकान्त शुक्ल)
वित्त नियंत्रक।

R
6/8

कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं

आवंटन आदेश संख्या: 463-Allotment 2014-15/21013-27

आवंटन तिथि: 01/08/2014

कोषागार: 59 - गाजियाबाद

वित्तीय वर्ष: 2014-2015

अधिकारी / जनपद का संख्या: 2475 - कारागार अधीक्षक

अधिकारी कार्यालय संख्या: 01 - -

अनुदान संख्या: 25 - गृह विभाग (कारागार)

लेखाशीर्षक: 2056 - जेले

101 - जेल

03 - समस्त कारागार

आयोजनेतर-मतदेय
(धनराशि रुपये में)

कोषागार: गाजियाबाद

मानक मद	पूर्व आवंटन	वर्तमान आवंटन	प्रगामी आवंटन
42 - अन्य व्यय	1270000	200000	1470000
योग :	1270000	200000	1470000

(शिवाकांत शुक्ल)
वित्त नियंत्रक

मुख्यालय, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्र संख्या-466-एलाटमेंट 2014-15/21013-27

दिनांक : 01 अगस्त, 2014

सेवा में,

वरिष्ठ अधीक्षक
जिला कारागार, फैजाबाद।

विषय:- वित्तीय वर्ष 2014-15 में जिला कारागार फैजाबाद के विचाराधीन बंदी मोती पुत्र श्री रामराज के उपचार/ऑपरेशन हेतु बजट का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यालय के पत्र संख्या-20767-72/सामा-1(5)01/2014 बं0चि0जि0का0फैजाबाद, दिनांक 30-07-2014 के सन्दर्भ वित्तीय वर्ष 2014-15 में जिला कारागार फैजाबाद के विचाराधीन बंदी मोती पुत्र श्री रामराज के उपचार/ऑपरेशन हेतु संलग्न आवंटन आदेश संख्या-466-एलाटमेंट 2014-15/21013-27, दिनांक 01-08-2014 में अंकित मानक मद में बजट का आवंटन अनुदान संख्या-25 लेखाशीर्षक-2056-जेलें-आयोजनेत्तर-101-जेल-03-समस्त कारागार के अन्तर्गत कुल रू0 25,000/- (रू0 पच्चीस हजार मात्र) किया जाता है।

बजट का आवंटन मात्र व्यय के लिये पर्याप्त आधार नहीं है, बल्कि व्यय के पूर्व प्रथम आवंटन आदेश में अंकित शर्तों/निर्देशों, सम्बन्धित शासनादेशों एवं वित्तीय नियमों का कड़ाई से अनुपालन किया जाये, जिन नामलों में सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी हो, उनमें ऐसी स्वीकृति पूर्व में आवंटन प्राप्त कर ली जाये तथा व्यय को प्राधिकृत विनियोग के भीतर ही रखा जाना सुनिश्चित किया जाए।

उक्त आवंटन को ऑपरेटिंग रजिस्टर के पृष्ठ-62 पर अंकित कर लिया गया है।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

(शिवाकान्त शुक्ल)
वित्त नियंत्रक।

पू0सं0- ¹²¹ 466-एलाटमेंट 2014-15/21013-27 तददिनांकित-

स्पीड पोस्ट
स्पीड पोस्ट

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-
1. मुख्य/वरिष्ठ कक्षाधिकारी, फैजाबाद। (संलग्नक-यथोपरि।)
 2. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी (प्रथम), सी0पी0एण्ड जेल्स, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद। (संलग्नक-यथोपरि।)
 3. उप सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4, लखनऊ। (संलग्नक-यथोपरि।)
 4. शोध अधिकारी, मुख्यालय को विभागीय वेब साइट के उपयोगार्थ प्रेषित। (संलग्नक-यथोपरि।)
 5. प्रशासनिक अधिकारी, सामान्य अनुभाग-1, मुख्यालय। (संलग्नक-यथोपरि।)

R
6/8

(शिवाकान्त शुक्ल)
वित्त नियंत्रक

कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं

आवंटन आदेश संख्या: 466-Allotment 2014-15/21013-27

कोषागार: 49 - फैजाबाद

अधिकारी / जनपद का संख्या: 2478 - वरिष्ठ अधीक्षक, जेल

अनुदान संख्या: 25 - गृह विभाग (कारागार)

लेखाशीर्षक: 2056 - जेल
101 - जेल

03 - समस्त कारागार

कोषागार: फैजाबाद

आवंटन तिथि: 01/08/2014

वित्तीय वर्ष: 2014-2015

अधिकारी कार्यालय संख्या: 01 - जिला कारागार

आयोजनेतर-मतदेय
(धनराशि रुपये में)

मानक मद	पूर्व आवंटन	वर्तमान आवंटन	प्रगामी आवंटन
42 - अन्य व्यय	850000	25000	875000
योग :	850000	25000	875000

(शिवाकांत शुक्ल)
वित्त नियंत्रक

स्वीड पोस्ट

मुख्यालय, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्र संख्या-468-एलाटमेंट 2014-15/21013-27

दिनांक : 01 अगस्त, 2014

सेवा में,

अधीक्षक

जिला कारागार फतेहगढ़।

विषय:- वित्तीय वर्ष 2014-15 में कालातीत देयकों की पूर्व सम्परीक्षा स्वीकृति उपरान्त बजट का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यालय के पृ0पत्र संख्या-11953/बजट अनु0-(5)-55-प्री0-आडिट, दिनांक 08-05-2014 के सन्दर्भ में कालातीत देयकों की पूर्व सम्परीक्षा स्वीकृति उपरान्त पत्र में अंकित फर्म के भुगतान हेतु निर्धारित शर्तों व निर्देशों के अधीन वित्तीय वर्ष 2014-15 में संलग्न आवंटन आदेश संख्या-468-एलाटमेंट 2014-15/21013-27, दिनांक 01-08-2014 में अंकित मानक मद में बजट का आवंटन अनुदान संख्या-25 लेखाशीर्षक-2056-जेलें-आयोजनेत्तर-101-जेल-03-समस्त कारागार के अन्तर्गत कुल रू0 3,79,150/- (रू0 तीन लाख उन्चासी हजार एक सौ पचास मात्र) किया जाता है।

बजट का आवंटन मात्र व्यय के लिये पर्याप्त आधार नहीं है, बल्कि व्यय के पूर्व प्रथम आवंटन आदेश में अंकित शर्तों/निर्देशों, सम्बन्धित शासनादेशों एवं वित्तीय नियमों का कड़ाई से अनुपालन किया जाये, जिन मामलों में सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी हो, उनमें ऐसी स्वीकृति पूर्व में अवश्य प्राप्त कर ली जाये तथा व्यय को प्राधिकृत विनियोग के भीतर ही रखा जाना सुनिश्चित किया जाए।

उक्त आवंटन को आवंटन रजिस्टर के पृष्ठ-58 पर अंकित कर लिया गया है।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

(शिवाकान्त शुक्ल)
वित्त नियंत्रक।

पृ0सं0- 468-एलाटमेंट 2014-15/21013-27

तद्दिनांकित-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, फतेहगढ़। (संलग्नक-यथोपरि।)
2. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी (प्रथम), सी0पी0एण्ड जेल्स, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद। (संलग्नक-यथोपरि।)
3. उप सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4, लखनऊ। (संलग्नक-यथोपरि।)
4. शोध अधिकारी, मुख्यालय को विभागीय वेब साइट के उपयोगार्थ प्रेषित। (संलग्नक-यथोपरि।)
5. प्रशासनिक अधिकारी, बजट अनुभाग, मुख्यालय। (संलग्नक-यथोपरि।)

R
6/10

(शिवाकान्त शुक्ल)
वित्त नियंत्रक।

कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं

आवंटन आदेश संख्या: 468-Allotment 2014-15/21013-27

कोषागार: 18 - फरुखाबाद

अधिकारी / जनपद का संख्या: 2475 - कारागार अधीक्षक

अनुदान संख्या: 25 - गृह विभाग (कारागार)

लेखाशीर्षक: 2056 - जेल

101 - जेल

03 - समस्त कारागार

आवंटन तिथि:

01/08/2014

वित्तीय वर्ष: 2014-2015

अधिकारी कार्यालय

संख्या: 01 - -

कोषागार: फरुखाबाद

आयोजनेतर-मतदेय
(धनराशि रुपये में)

मानक मद्	पूर्व आवंटन	वर्तमान आवंटन	प्रगामी आवंटन
39 - औषधि तथा रसायन	566000	379150	945150
योग :	566000	379150	945150

(शिवाकांत शुक्ल)
वित्त नियंत्रक

मुख्यालय, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्र संख्या-462-एलाटमेंट 2014-15/21013-27

दिनांक : 01 अगस्त, 2014

सेवा में,

अधीक्षक,
जिला कारागार,
एटा।

विषय:- जिला कारागार एटा के विचाराधीन बंदी तेजराम पुत्र श्री अन्तराम की दिनांक 23-01-2011 को हुयी मृत्यु प्रकरण में मा० राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की संस्तुति के अनुसार मृतक बंदी के निकटस्थ आश्रितों/उत्तराधिकारियों को रु० 3,00,000/- (रु० तीन लाख मात्र) के मुआवजे का भुगतान किये जाने हेतु बजट का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-417जे०/22-3-14-30एचआरसी/2011, दिनांक 07-07-2014 द्वारा जिला कारागार एटा के विचाराधीन बंदी तेजराम पुत्र श्री अन्तराम की दिनांक 23-01-2011 को हुयी मृत्यु प्रकरण में मा० राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की संस्तुति के अनुसार मृतक बंदी के निकटस्थ आश्रितों/उत्तराधिकारियों को रु० 3,00,000/- (रु० तीन लाख मात्र) की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी है। उक्त के क्रम में मुख्यालय के आदेश पृ० संख्या-18645-50(5)/मा०अनु०(9)126-2012, दिनांक 15-07-2014 द्वारा रु० 3,00,000/- (रु० तीन लाख मात्र) के मुआवजे के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

अतः वित्तीय वर्ष 2014-15 में उक्त मुआवजे के भुगतान हेतु संलग्न आवंटन आदेश संख्या-462-एलाटमेंट 2014-15/21013-27, दिनांक 01-08-2014 में अंकित मानक मद में उपरोक्त शासनादेश में उल्लिखित शर्तों एवं निर्देशों के अधीन बजट का आवंटन अनुदान संख्या-25 लेखाशीर्षक-2056-जेलें-आयोजनेत्तर-101-जेल-03-समस्त कारागार के अन्तर्गत रु० 3,00,000/- (रु० तीन लाख मात्र) किया जाता है।

उक्त आवंटन को आवंटन रजिस्टर के पृष्ठ-52 पर अंकित कर लिया गया है।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

(शिवकान्त शुक्ल)
वित्त नियंत्रक।

पृ०सं०- ¹²¹ 462-एलाटमेंट 2014-15/21013-27 तददिनांकित-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- ल्यूड पोस्ट 1. मुख्य/वरिष्ठ कौषाधिकारी, एटा। (संलग्नक-यथोपरि।)
- ल्यूड पोस्ट 2. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी (प्रथम), सी०पी०एण्ड जेल्स, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद। (संलग्नक-यथोपरि।)
3. उप सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4, लखनऊ। (संलग्नक-यथोपरि।)
4. शोध अधिकारी, मुख्यालय को विभागीय वेब साइट के उपयोगार्थ प्रेषित। (संलग्नक-यथोपरि।)
5. प्रशासनिक अधिकारी, मानवाधिकार अनुभाग, मुख्यालय। (संलग्नक-यथोपरि।)

(शिवकान्त शुक्ल)
वित्त नियंत्रक।

121
6/8

review

कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं

आवंटन आदेश संख्या: 462-Allotment 2014-
15/21013-27

कोषागार: 10 - एटा

अधिकारी / जनपद का संख्या: 2475 - कारागार
अधीक्षक

अनुदान संख्या: 25 - गृह विभाग (कारागार)

लेखाशीर्षक: 2056 - जेल

101 - जेल

03 - समस्त कारागार

कोषागार: एटा

आवंटन तिथि: 01/08/2014

वित्तीय वर्ष: 2014-2015

अधिकारी कार्यालय संख्या:
01 - -

आयोजनेतर-मतदेय
(धनराशि रुपये में)

मानक मद	पूर्व आवंटन	वर्तमान आवंटन	प्रगामी आवंटन
42 - अन्य व्यय	849578	300000	1149578
योग :	849578	300000	1149578

(शिवाकांत शुक्ल)
वित्त नियंत्रक

मुख्यालय, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्र संख्या-461-एलाटमेंट 2014-15/21013-27

दिनांक : 01 अगस्त, 2014

सेवा में,

अधीक्षक,
जिला कारागार,
बिजनौर।

विषय:- जिला कारागार बिजनौर के विचाराधीन बंदी कृष्णपाल पुत्र श्री रामसिंह की दिनांक 30/31-07-2012 को हुयी मृत्यु प्रकरण में मा0 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की संस्तुति के अनुसार मृतक बंदी के निकटस्थ आश्रितों/उत्तराधिकारियों को रू0 1,00,000/- (रू0 एक लाख मात्र) के मुआवजे का भुगतान किये जाने हेतु बजट का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-845जे0/22-3-14-185एचआरसी/2012, दिनांक 08-07-2014 द्वारा जिला कारागार बिजनौर के विचाराधीन बंदी कृष्णपाल पुत्र श्री रामसिंह की दिनांक 30/31-07-2012 को हुयी मृत्यु प्रकरण में मा0 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की संस्तुति के अनुसार मृतक बंदी के निकटस्थ आश्रितों/उत्तराधिकारियों को रू0 1,00,000/- (रू0 एक लाख मात्र) की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी है। उक्त के क्रम में मुख्यालय के आदेश पृ0 संख्या-19610-15(6)/मा0अनु0(1)211-2012, दिनांक 17-07-2014 द्वारा रू0 1,00,000/- (रू0 एक लाख मात्र) के मुआवजे के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

अतः वित्तीय वर्ष 2014-15 में उक्त मुआवजे के भुगतान हेतु सलग्न आवंटन आदेश संख्या-461-एलाटमेंट 2014-15/21013-27, दिनांक 01-08-2014 में अंकित मानक मद में उपरोक्त शासनादेश में उल्लिखित शर्तों एवं निर्देशों के अधीन बजट का आवंटन अनुदान संख्या-25 लेखाशीर्षक-2056-जेलें-आयोजनेत्तर-101-जेल-03-सगस्त कारागार के अन्तर्गत रू0 1,00,000/- (रू0 एक लाख मात्र) किया जाता है।

उक्त आवंटन को आवंटन रजिस्टर के पृष्ठ-40 पर अंकित कर लिया गया है।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

(शिवाकान्त शुक्ल)
वित्त नियंत्रक।

पृ0सं0- 461-एलाटमेंट 2014-15/21013-27 तददिनांकित-

स्पीड पोस्ट
स्पीड पोस्ट

1. मुख्/वरिष्ठ कोषाधिकारी, बिजनौर। (संलग्नक-यथोपरि।)
2. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी (प्रथम), सी0पी0एण्ड जेल्स, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद। (संलग्नक-यथोपरि।)
3. उप सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4, लखनऊ। (संलग्नक-यथोपरि।)
4. शोध अधिकारी, मुख्यालय लो विभागीय वेब साइट के उपयोगार्थ प्रेषित। (संलग्नक-यथोपरि।)
5. प्रशासनिक अधिकारी, मानवाधिकार अनुभाग, मुख्यालय। (संलग्नक-यथोपरि।)

(शिवाकान्त शुक्ल)
वित्त नियंत्रक।

12/8/14

कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं

आवंटन आदेश संख्या: 461-Allotment 2014-15/21013-27

आवंटन तिथि: 01/08/2014

कोषागार: 12 - विजनौर

वित्तीय वर्ष: 2014-2015

अधिकारी / जनपद का संख्या: 2475 - कारागार अधीक्षक

अधिकारी कार्यालय संख्या: 01 - -

अनुदान संख्या: 25 - गृह विभाग (कारागार)

लेखाशीर्षक: 2056 - जेल

101 - जेल

03 - समस्त कारागार

आयोजनेतर-मतदेय
(धनराशि रुपये में)

कोषागार: विजनौर

मानक मद	पूर्व आवंटन	वर्तमान आवंटन	प्रगामी आवंटन
42 - अन्य व्यय	750000	100000	850000
योग :	750000	100000	850000

(शिवाकांत शुक्ल)
वित्त नियंत्रक

मुख्यालय, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्र संख्या-459-एलाटमेंट 2014-15/21013-27

दिनांक : 01 अगस्त, 2014

सेवा में,

अधीक्षक,
जिला कारागार,
आगरा।

विषय:- जिला कारागार आगरा के सिद्धदोष बंदी नेत्रपाल पुत्र श्री सुग्रीव सिंह की दिनांक 18-09-2009 को हुयी मृत्यु प्रकरण में मा0 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की संस्तुति के अनुसार मृतक बंदी के निकटस्थ आश्रितों/उत्तराधिकारियों को रू0 1,00,000/- (रू0 एक लाख मात्र) के मुआवजे का भुगतान किये जाने हेतु बजट का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-55रा0मा0/22-3-14-210एचआरसी/2009, दिनांक 07-07-2014 द्वारा जिला कारागार आगरा के सिद्धदोष बंदी नेत्रपाल पुत्र श्री सुग्रीव सिंह की दिनांक 18-09-2009 को हुयी मृत्यु प्रकरण में मा0 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की संस्तुति के अनुसार मृतक बंदी के निकटस्थ आश्रितों/उत्तराधिकारियों को रू0 1,00,000/- (रू0 एक लाख मात्र) की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी है। उक्त के कम में मुख्यालय के आदेश पृ0 संख्या-19628-33(6)/मा0अनु0(2)221-2009, दिनांक 17-07-2014 द्वारा रू0 1,00,000/- (रू0 एक लाख मात्र) के मुआवजे के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

अतः वित्तीय वर्ष 2014-15 में उक्त मुआवजे के भुगतान हेतु संलग्न आवंटन आदेश संख्या-459-एलाटमेंट 2014-15/21013-27, दिनांक 01-08-2014 में अंकित मानक मद में उपरोक्त शासनादेश में उल्लिखित शर्तों एवं निर्देशों के अधीन बजट का आवंटन अनुदान संख्या-25 लेखाशीर्षक-2056-जेलें-आयोजनेत्तर-101-जेल-03-समस्त कारागार के अन्तर्गत रू0 1,00,000/- (रू0 एक लाख मात्र) किया जाता है।

उक्त आवंटन को आवंटन रजिस्टर के पृष्ठ-20 पर अंकित कर लिया गया है।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

(शिवाकान्त शुक्ल)
वित्त नियंत्रक।

पृ0सं0- ¹²¹ 459-एलाटमेंट 2014-15/21013-27 तददिनांकित-

स्पीड पोस्ट
स्पीड पोस्ट

1. प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-
मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, आगरा। (संलग्नक-यथोपरि।)
2. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी (प्रथम), सी0पी0एण्ड जेल्स, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
(संलग्नक-यथोपरि।)
3. उप सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4, लखनऊ।
(संलग्नक-यथोपरि।)
4. शोध अधिकारी, मुख्यालय को विभागीय वेब साइट के उपयोगार्थ प्रेषित।
(संलग्नक-यथोपरि।)
5. प्रशासनिक अधिकारी, मानवाधिकार अनुभाग, मुख्यालय। (संलग्नक-यथोपरि।)

(शिवाकान्त शुक्ल)
वित्त नियंत्रक।

R
6/8

कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं

आवंटन आदेश संख्या: 459-Allotment 2014-15/21013-27

आवंटन तिथि: 01/08/2014

कोषागार: 08 - आगरा

वित्तीय वर्ष: 2014-2015

अधिकारी / जनपद का संख्या: 2475 - कारागार अधीक्षक

अधिकारी कार्यालय संख्या: 01 --

अनुदान संख्या: 25 - गृह विभाग (कारागार)

लेखाशीर्षक: 2056 - जेल

101 - जेल

03 - समस्त कारागार

आयोजनेतर-मतदेय
(धनराशि रुपये में)

कोषागार: आगरा

मानक मद	पूर्व आवंटन	वर्तमान आवंटन	प्रगामी आवंटन
42 - अन्य व्यय	1300000	100000	1400000
योग :	1300000	100000	1400000

(शिवाकांत शुक्ल)
वित्त नियंत्रक

मुख्यालय, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्र संख्या-460-एलाटमेंट 2014-15/21013-27

दिनांक : 01 अगस्त, 2014

सेवा में,

अधीक्षक,
जिला कारागार,
आगरा।

विषय:- जिला कारागार आगरा के विचाराधीन बंदी मून उर्फ मनीष गौतम पुत्र श्री नरेश गौतम की दिनांक 10-05-2012 को हुयी मृत्यु प्रकरण में मा0 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की संस्तुति के अनुसार मृतक बंदी के निकटस्थ आश्रितों/उत्तराधिकारियों को रू0 3,00,000/- (रू0 तीन लाख मात्र) के मुआवजे का भुगतान किये जाने हेतु बजट का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-506जे0/22-3-14-117एचआरसी/2012, दिनांक 08-07-2014 द्वारा जिला कारागार आगरा के विचाराधीन बंदी मून उर्फ मनीष गौतम पुत्र श्री नरेश गौतम की दिनांक 10-05-2012 को हुयी मृत्यु प्रकरण में मा0 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की संस्तुति के अनुसार मृतक बंदी के निकटस्थ आश्रितों/उत्तराधिकारियों को रू0 3,00,000/- (रू0 तीन लाख मात्र) की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी है। उक्त के क्रम में मुख्यालय के आदेश पृ0 संख्या-19618-21(6)/मा0अनु0(1)126-2012, दिनांक 17-07-2014 द्वारा रू0 3,00,000/- (रू0 तीन लाख मात्र) के मुआवजे के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

अतः वित्तीय वर्ष 2014-15 में उक्त मुआवजे के भुगतान हेतु संलग्न आवंटन आदेश संख्या-460-एलाटमेंट 2014-15/21013-27, दिनांक 01-08-2014 में अंकित मानक मद में उपरोक्त शासनादेश में उल्लिखित शर्तों एवं निर्देशों के अधीन बजट का आवंटन अनुदान संख्या-25 लेखाशीर्षक-2056-जेलें-आयोजनेत्तर-101-जेल-03-समस्त कारागार के अन्तर्गत रू0 3,00,000/- (रू0 तीन लाख मात्र) किया जाता है।

उक्त आवंटन को आवंटन रजिस्टर के पृष्ठ-20 पर अंकित कर लिया गया है।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

(शिवाकान्त शुक्ल)
वित्त नियंत्रक।

पृ0सं0- ¹²¹ 460-एलाटमेंट 2014-15/21013-27 तददिनांकित-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. स्पीड पोस्ट मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, आगरा। (संलग्नक-यथोपरि।)
2. स्पीड पोस्ट महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी (प्रथम), सी0पी0एण्ड जेल्स, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद। (संलग्नक-यथोपरि।)
3. उप सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4, लखनऊ। (संलग्नक-यथोपरि।)
4. शोध अधिकारी, मुख्यालय को विभागीय वेब साइट के उपयोगार्थ प्रेषित। (संलग्नक-यथोपरि।)
5. प्रशासनिक अधिकारी, मानवाधिकार अनुभाग, मुख्यालय। (संलग्नक-यथोपरि।)

(शिवाकान्त शुक्ल)
वित्त नियंत्रक।

R/
6/10

कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं

आवंटन आदेश संख्या: 460-Allotment 2014-15/21013-27

आवंटन तिथि: 01/08/2014

कोषागार: 08 - आगरा

वित्तीय वर्ष: 2014-2015

अधिकारी / जनपद का संख्या: 2475 - कारागार अधीक्षक

अधिकारी कार्यालय संख्या: 01 --

अनुदान संख्या: 25 - गृह विभाग (कारागार)

लेखाशीर्षक: 2056 - जेले

101 - जेल

03 - समस्त कारागार

कोषागार: आगरा

आयोजनेतर-भतदेय
(धनराशि रुपये में)

मानक मद	पूर्व आवंटन	वर्तमान आवंटन	प्रगामी आवंटन
42 - अन्य व्यय	1400000	300000	1700000
योग :	1400000	300000	1700000

(शिवाकांत शुक्ल)
वित्त नियंत्रक

मुख्यालय, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्र संख्या-467-एलाटमेंट 2014-15/21013-27

दिनांक : 01 अगस्त, 2014

सेवा में,

वरिष्ठ अधीक्षक
केन्द्रीय कारागार, आगरा।

विषय:- वित्तीय वर्ष 2014-15 में बजट का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यालय के पृ0पत्र संख्या-28739-42/नम-1/अनुरक्षण-2014-15/टी0सी0, दिनांक 30-07-2013 के सन्दर्भ में पत्र में अंकित कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2014-15 में संलग्न आवंटन आदेश संख्या-467-एलाटमेंट 2014-15/21013-27, दिनांक 01-08-2014 में अंकित मानक मद में बजट का आवंटन अनुदान संख्या-25 लेखाशीर्षक-2056-जेल-आयोजनेत्तर-101-जेल-03-समस्त कारागार के अन्तर्गत कुल रू0 54,150/- (रू0 चौवन हजार एक सौ पचास मात्र) किया जाता है।

बजट का आवंटन मात्र व्यय के लिये पर्याप्त आधार नहीं है, बल्कि व्यय के पूर्व प्रथम आवंटन आदेश में अंकित शर्तों/निर्देशों, सम्बन्धित शासनादेशों एवं वित्तीय नियमों का कड़ाई से अनुपालन किया जाये, जिन मामलों में सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी हो, उनमें ऐसी स्वीकृति पूर्व में अवश्य प्राप्त कर ली जाये तथा व्यय को प्राधिकृत विनियोग के भीतर ही रखा जाना सुनिश्चित किया जाए।

उक्त आवंटन को आवंटन रजि स्टर के पृष्ठ-18 पर अंकित कर लिया गया है।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

(शिवाकान्त शुक्ल)
वित्त नियंत्रक।

पृ0सं0- ¹²¹467-एलाटमेंट 2014-15/21013-27 तददिनांकित-

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-
1. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, आगरा। (संलग्नक-यथोपरि।)
 2. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी (प्रथम), सी0पी0एण्ड जेल्स, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद। (संलग्नक-यथोपरि।)
 3. उप सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4, लखनऊ। (संलग्नक-यथोपरि।)
 4. शोध अधिकारी, मुख्यालय को विभागीय वेब साइट के उपयोगार्थ प्रेषित। (संलग्नक-यथोपरि।)
 5. प्रशासनिक अधिकारी, निर्माण अनुभाग, मुख्यालय। (संलग्नक-यथोपरि।)

(शिवाकान्त शुक्ल)
वित्त नियंत्रक

R
6/8

कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं

आवंटन आदेश संख्या: 467-Allotment 2014-
15/21013-27

कोषागार: 08 - आगरा

अधिकारी / जनपद का संख्या: 2477 - वरिष्ठ अधीक्षक
सेंट्रल जेल

अनुदान संख्या: 25 - गृह विभाग (कारागार)

लेखाशीर्षक: 2056 - जेले

101 - जेल

03 - समस्त कारागार

आवंटन तिथि:

01/08/2014

वित्तीय वर्ष: 2014-2015

अधिकारी कार्यालय

संख्या: 01 - -

कोषागार: आगरा

आयोजनेतर-मतदेय

(धनराशि रुपये में)

मानक मद	पूर्व आवंटन	वर्तमान आवंटन	प्रगामी आवंटन
29 - अनुरक्षण	25000	54150	79150
योग :	25000	54150	79150

(शिवाकांत शुक्ल)
वित्त नियंत्रक

मुख्यालय, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्र संख्या-477-एलाटमेंट 2014-15/21368-75

दिनांक : 04 अगस्त, 2014

सेवा में,

वरिष्ठ अधीक्षक,
आदर्श कारागार,
लखनऊ।

विषय:- वित्तीय वर्ष 2014-15 में बजट का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यालय के आदेश पृ0संख्या-20369-77/गौ0(6)/विधि प्रकोष्ठ, दिनांक 23-07-2014 के सन्दर्भ में निर्देश याचिका संख्या-253/2004 ठाकुर प्रसाद तिवारी बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 लोक सेवा अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 13-08-2008 के अनुपालन में श्री ठाकुर प्रसाद तिवारी, प्रधान बंदीरक्षक जिला कारागार, लखनऊ को दैय अवशेष वेतन एवं वेतनवृद्धियों पर 08 प्रतिशत ब्याज का भुगतान किये जाने हेतु संलग्न आवंटन आदेश संख्या-477-एलाटमेंट 2014-15/21368-75, दिनांक 04-08-2014 में अंकित मानक मद में बजट का आवंटन अनुदान संख्या-25 लेखाशीर्षक-2056-जेल-आयोजनेत्तर-001-03-निदेशन तथा प्रशासन के अन्तर्गत मानक मद 42-अन्य व्यय (भारित) में कुल रू0 63,162/- (रू0 तिरसठ हजार एक सौ बासठ मात्र) किया जाता है।

बजट का आवंटन मात्र व्यय के लिये पर्याप्त आधार नहीं है, बल्कि व्यय के पूर्व प्रथम आवंटन आदेश में अंकित शर्तों/निर्देशों, सम्बन्धित शासनादेशों एवं वित्तीय नियमों का कड़ाई से अनुपालन किया जाये, जिन मामलों में सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी हो, उनमें ऐसी स्वीकृति पूर्व में अवश्य प्राप्त कर ली जाये तथा व्यय को प्राधिकृत विनियोग के भीतर ही रखा जाना सुनिश्चित किया जाए।

उक्त आवंटन को आवंटन रजिस्टर के पृष्ठ-90 पर अंकित कर लिया गया है।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

(शिवाकान्त शुक्ल)
वित्त नियंत्रक।

¹⁹¹
पृ0सं0-477-एलाटमेंट 2014-15/21368-75 तददिनांकित-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

स्पीड पोस्ट

1. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट लखनऊ। (संलग्नक-यथोपरि।)
2. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी (प्रथम), सी0पी0एण्ड जेल्स, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद। (संलग्नक-यथोपरि।)
3. उप सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4, लखनऊ। (संलग्नक-यथोपरि।)
4. शोध अधिकारी, मुख्यालय को विभागीय वेब साइट के उपयोगार्थ प्रेषित। (संलग्नक-यथोपरि।)
5. वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, विधि प्रकोष्ठ, मुख्यालय। (संलग्नक-यथोपरि।)

(शिवाकान्त शुक्ल)
वित्त नियंत्रक।

12/8/14

कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं

आवंटन आदेश संख्या: 477-Allotment 2014-15/21368-75

आवंटन तिथि: 04/08/2014

कोषागार: 43 - लखनऊ कलेक्ट्रेट

वित्तीय वर्ष: 2014-2015

अधिकारी / जनपद का संख्या: 2474 - वरिष्ठ

अधिकारी कार्यालय संख्या: 01 -

अधीक्षक - आदर्श कारागार

आदर्श कारागार लखनऊ

अनुदान संख्या: 25 - गृह विभाग (कारागार)

लेखाशीर्षक: 2056 - जेते

001 - निदेशन तथा प्रशासन

03 - मुख्य--

आयोजनेतर-भारित
(धनराशि रुपये में)

कोषागार: लखनऊ कलेक्ट्रेट

मानक
मद

पूर्व आवंटन वर्तमान आवंटन प्रगामी आवंटन

42 - अन्य
टयय

0

63162

63162

योग :

0

63162

63162

(शिवाकांत शुक्ल)
वित्त नियंत्रक

मुख्यालय, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्र संख्या-476-एलाटमेंट 2014-15/21368-75

दिनांक : 04-08-2014

सेवा में,

वरिष्ठ अधीक्षक,
केन्द्रीय कारागार,
वाराणसी।

विषय:- वित्तीय वर्ष 2014-15 में बजट का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यालय के पत्र संख्या-19852/उद्योग-2/207/2014, दिनांक 18-07-2014, पत्र संख्या-19850/उद्योग-2/207/2014, दिनांक 18-07-2014, एवं पत्र संख्या-19857/उद्योग-2/207/2014, दिनांक 18-07-2014 के सन्दर्भ में पत्र में अंकित सामग्रियों का क्रय, पत्र में अंकित शर्तों के अधीन किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2014-15 में संलग्न आवंटन आदेश संख्या-476-एलाटमेंट 2014-15/21368-75, दिनांक 04-08-2014 में अंकित मानक मद में बजट का आवंटन अनुदान संख्या-25 लेखाशीर्षक- 2056-जेलें-आयोजनेत्तर- 102-03-जेल उत्पाद के अन्तर्गत कुल रू० 22,03,797/- (रू० बाइस लाख तीन हजार सात सौ सत्तनावे मात्र) किया जाता है।

बजट का आवंटन मात्र व्यय के लिये पर्याप्त आधार नहीं है, बल्कि व्यय के पूर्व प्रथम आवंटन आदेश में अंकित शर्तों/निर्देशों, सम्बन्धित शासनादेशों एवं वित्तीय नियमों का कड़ाई से अनुपालन किया जाये, जिन मामलों में सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी हो, उनमें ऐसी स्वीकृति पूर्व में अवश्य प्राप्त कर ली जाये तथा व्यय को प्राधिकृत विनियोग के भीतर ही रखा जाना सुनिश्चित किया जाए।

उक्त आवंटन को आवंटन रजिस्टर के पृष्ठ-223 पर अंकित कर लिया गया है।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

(शिवाकान्त शुक्ल)
वित्त नियंत्रक।

12

पृ०सं०- 476-एलाटमेंट 2014-15/21368-75

तददिनांकित-

स्पीड पोस्ट
स्पीड पोस्ट

1. प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-
मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, वाराणसी। (संलग्नक-यथोपरि)।
2. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी (प्रथम), सी०पी०एण्ड जेल्स, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
(संलग्नक-यथोपरि)।
3. उप सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4, लखनऊ।
(संलग्नक-यथोपरि)।
4. शोध अधिकारी, मुख्यालय को विभागीय वेब साइट के उपयोगार्थ प्रेषित।
(संलग्नक-यथोपरि)।
5. प्रशासनिक अधिकारी, उद्योग अनुभाग, मुख्यालय। (संलग्नक-यथोपरि)।

(शिवाकान्त शुक्ल)
वित्त नियंत्रक।

R
6/8

कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं

आवंटन आदेश संख्या: 476-Allotment 2014-15/21368-75

कोषागार: 27 - वाराणसी

अधिकारी / जनपद का संख्या: 2477 - वरिष्ठ अधीक्षक सेंट्रल जेल

अनुदान संख्या: 25 - गृह विभाग (कारागार)

लेखाशीर्षक: 2056 - जेल

102 - जेल उत्पाद

03 - समस्त कारागार

आवंटन तिथि:

04/08/2014

वित्तीय वर्ष: 2014-2015

अधिकारी कार्यालय

संख्या: 01 - -

कोषागार: वाराणसी

आयोजनेतर-मतदेय
(धनराशि रुपये में)

मानक मद	पूर्व आवंटन	वर्तमान आवंटन	प्रगामी आवंटन
43 - सामग्री एवं सम्पूति	246670	2203797	2450467
योग :	246670	2203797	2450467

(शिवाकांत शुक्ल)
वित्त नियंत्रक

मुख्यालय, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्र संख्या-472-एलाटमेंट 2014-15/21368-75

दिनांक : 04-08-2014

सेवा में,

अधीक्षक,
जिला कारागार,
उन्नाव।

विषय:- वित्तीय वर्ष 2014-15 में बजट का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यालय के पत्र संख्या-19850/उद्योग-2 /207/2014, दिनांक 18-07-2014, एवं पत्र संख्या-19857/ उद्योग-2/207/2014, दिनांक 18-07-2014 के सन्दर्भ में पत्र में अंकित सामग्रियों का क्रय, पत्र में अंकित शर्तों के अधीन किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2014-15 में संलग्न आवंटन आदेश संख्या-472-एलाटमेंट 2014-15 /21368-75, दिनांक 04-08-2014 में अंकित मानक मद में बजट का आवंटन अनुदान संख्या-25 लेखाशीर्षक-2056-जेल-आयोजनेत्तर-102-03-जेल उत्पाद के अन्तर्गत कुल रू० 3,92,613/- (रू० तीन लाख बानवे हजार छः सौ तेरह मात्र) किया जाता है।

बजट का आवंटन मात्र व्यय के लिये पर्याप्त आधार नहीं है, बल्कि व्यय के पूर्व प्रथम आवंटन आदेश में अंकित शर्तों/निर्देशों, सम्बन्धित शासनादेशों एवं वित्तीय नियमों का कड़ाई से अनुपालन किया जाये, जिन मामलों में सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी हो, उनमें ऐसी स्वीकृति पूर्व में अवश्य प्राप्त कर ली जाये तथा व्यय को प्राधिकृत विनियोग के भीतर ही रखा जाना सुनिश्चित किया जाए।

उक्त आवंटन को आवंटन रजिस्टर के पृष्ठ-222 पर अंकित कर लिया गया है।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

(शिवाकान्त शुक्ल)
वित्त नियंत्रक।

पृ०सं०- ¹²¹472-एलाटमेंट 2014-15/21368-75 तददिनांकित-

स्पीड पोस्ट
स्पीड पोस्ट

1. प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-
मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उन्नाव। (संलग्नक-यथोपरि)।
2. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी (प्रथम), सी०पी०एण्ड जेल्स, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
(संलग्नक-यथोपरि)।
3. उप सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4, लखनऊ।
(संलग्नक-यथोपरि)।
4. शोध अधिकारी, मुख्यालय को विभागीय वेब साइट के उपयोगार्थ प्रेषित।
(संलग्नक-यथोपरि)।
5. प्रशासनिक अधिकारी, उद्योग अनुभाग, मुख्यालय। (संलग्नक-यथोपरि)।

(शिवाकान्त शुक्ल)
वित्त नियंत्रक।

2
6/8

कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं

आवंटन आदेश संख्या: 472-Allotment 2014-15/21368-75

कोषागार: 44 - उन्नाव

अधिकारी / जनपद का संख्या: 2475 - कारागार अधीक्षक

अनुदान संख्या: 25 - गृह विभाग (कारागार)

लेखाशीर्षक: 2056 - जेल

102 - जेल उत्पाद

03 - समस्त कारागार

कोषागार: उन्नाव

आवंटन तिथि: 04/08/2014

वित्तीय वर्ष: 2014-2015

अधिकारी कार्यालय संख्या: 01 - -

आयोजनेतर-मतदेय
(धनराशि रुपये में)

मानक मद	पूर्व आवंटन	वर्तमान आवंटन	प्रगामी आवंटन
43 - सामग्री एवं सम्पत्ति	89098	392613	481711
योग :	89098	392613	481711

(शिवाकांत शुक्ल)
वित्त नियंत्रक

मुख्यालय, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्र संख्या-473-एलाटमेंट 2014-15/21368-75

दिनांक : 04-08-2014

सेवा में,

अधीक्षक,
जिला कारागार,
सीतापुर।

विषय:- वित्तीय वर्ष 2014-15 में बजट का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यालय के पत्र संख्या-19850/उद्योग-2/207/2014, दिनांक 18-07-2014, एवं पत्र संख्या-19857/उद्योग-2/207/2014, दिनांक 18-07-2014 के सन्दर्भ में पत्र में अंकित सामग्रियों का कय, पत्र में अंकित शर्तों के अधीन किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2014-15 में संलग्न आवंटन आदेश संख्या-473-एलाटमेंट 2014-15/21368-75, दिनांक 04-08-2014 में अंकित मानक मद में बजट का आवंटन अनुदान संख्या-25 लेखाशीर्षक-2056-जेलें-आयोजनेत्तर-102-03-जेल उत्पाद के अन्तर्गत कुल रू० 8,26,738/- (रू० आठ लाख छब्बीस हजार सात सौ अड़तीस मात्र) किया जाता है।

बजट का आवंटन मात्र व्यय के लिये पर्याप्त आधार नहीं है, बल्कि व्यय के पूर्व प्रथम आवंटन आदेश में अंकित शर्तों/निर्देशों, सम्बन्धित शासनादेशों एवं वित्तीय नियमों का कड़ाई से अनुपालन किया जाये, जिन मामलों में सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी हो, उनमें ऐसी स्वीकृति पूर्व में अवश्य प्राप्त कर ली जाये तथा व्यय को प्राधिकृत विनियोग के भीतर ही रखा जाना सुनिश्चित किया जाए।

उक्त आवंटन को आवंटन रजिस्टर के पृष्ठ-219 पर अंकित कर लिया गया है।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

(शिवाकान्त शुक्ल)
वित्त नियंत्रक।

121

पू०सं०- 473-एलाटमेंट 2014-15/21368-75

तददिनांकित-

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-
1. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, सीतापुर। (संलग्नक-यथोपरि)।
 2. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी (प्रथम), सी०पी०एण्ड जेल्स, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद। (संलग्नक-यथोपरि।)
 3. उप सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4, लखनऊ। (संलग्नक-यथोपरि।)
 4. शोध अधिकारी, मुख्यालय को विभागीय वेब साइट के उपयोगार्थ प्रेषित। (संलग्नक-यथोपरि।)
 5. प्रशासनिक अधिकारी, उद्योग अनुभाग, मुख्यालय। (संलग्नक-यथोपरि।)

(शिवाकान्त शुक्ल)
वित्त नियंत्रक।

R
6/10

ew

कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं

आवंटन आदेश संख्या: 473-Allotment 2014-15/21368-75

कोषागार: 46 - सीतापुर

अधिकारी / जनपद का संख्या: 2475 - कारागार अधीक्षक

अनुदान संख्या: 25 - गृह विभाग (कारागार)

लेखाशीर्षक: 2056 - जेल

102 - जेल उत्पाद

03 - समस्त कारागार

कोषागार: सीतापुर

आवंटन तिथि:

04/08/2014

वित्तीय वर्ष: 2014-2015

अधिकारी कार्यालय

संख्या: 01 - -

आयोजनेतर-मतदेय
(धनराशि रुपये में)

मानक मद	पूर्व आवंटन	वर्तमान आवंटन	प्रगामी आवंटन
43 - सामग्री एवं सम्पत्ति	57800	826738	884538
योग :	57800	826738	884538

(शिवाकांत शुक्ल)
वित्त नियंत्रक

मुख्यालय, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्र संख्या-470-एलाटमेंट 2014-15/21368-75

दिनांक : 04-08-2014

सेवा में,

वरिष्ठ अधीक्षक,
केन्द्रीय कारागार,
नैनी।

विषय:- वित्तीय वर्ष 2014-15 में बजट का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यालय के पत्र संख्या-19845(iii)/उद्योग-2/208/2014, दिनांक 15-07-2014, पत्र संख्या-19852/उद्योग-2/207/2014, दिनांक 18-07-2014, पत्र संख्या-19850/उद्योग-2/207/2014, दिनांक 18-07-2014, पत्र संख्या-19857/उद्योग-2/207/2014, दिनांक 18-07-2014 एवं पत्र संख्या-20901(3)/उद्योग-2/2014, दिनांक 31-07-2014 के सन्दर्भ में पत्र में अंकित सामग्रियों का क्रय, पत्र में अंकित शर्तों के अधीन किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2014-15 में सलग्न आवंटन आदेश संख्या-470-एलाटमेंट 2014-15/21368-75, दिनांक 04-08-2014 में अंकित मानक मद में बजट का आवंटन अनुदान संख्या-25 लेखाशीर्षक- 2056-जेलें-आयोजनेत्तर-102-03-जेल उत्पाद के अन्तर्गत कुल रु 20,63,487/- (रु 20 बीस लाख तिरसठ हजार चार सौ सत्तासी मात्र) किया जाता है।

बजट का आवंटन मात्र व्यय के लिये पर्याप्त आधार नहीं है, बल्कि व्यय के पूर्व प्रथम आवंटन आदेश में अंकित शर्तों/निर्देशों, सन्बन्धित शासनादेशों एवं वित्तीय नियमों का कड़ाई से अनुपालन किया जाये, जिन मामलों में सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी हो, उनमें ऐसी स्वीकृति पूर्व में अवश्य प्राप्त कर ली जाये तथा व्यय को प्राधिकृत विनियोग के भीतर ही रखा जाना सुनिश्चित किया जाए।

उक्त आवंटन को आवंटन रजिस्टर के पृष्ठ-211 पर अंकित कर लिया गया है।

सलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

(शिवाकान्त शुक्ल)
वित्त नियंत्रक।

पू०सं०- ¹²¹470-एलाटमेंट 2014-15/21368-75 तददिनांकित-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- स्पीड पोस्ट 1. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, सिविल लाइन्स, इलाहाबाद। (संलग्नक-यथोपरि)।
स्पीड पोस्ट 2. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी (प्रथम), सी०पी०एण्ड जेल्स, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद। (संलग्नक-यथोपरि)।
3. उप सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4, लखनऊ। (संलग्नक-यथोपरि)।
4. शोध अधिकारी, मुख्यालय को विभागीय वेब साइट के उपयोगार्थ प्रेषित। (संलग्नक-यथोपरि)।
5. प्रशासनिक अधिकारी, उद्योग अनुभाग, मुख्यालय। (संलग्नक-यथोपरि)।

(शिवाकान्त शुक्ल)
वित्त नियंत्रक।

6/8

कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं

आवंटन आदेश संख्या: 470-Allotment 2014-15/21368-75

कोषागार: 64 - सिविल लाइंस, इलाहाबाद

अधिकारी / जनपद का संख्या: 2477 - वरिष्ठ अधीक्षक, अधिकारी कार्यालय सेंट्रल जेल

अनुदान संख्या: 25 - गृह विभाग (कारागार)

लेखाशीर्षक: 2056 - जेल

102 - जेल उत्पाद

03 - समस्त कारागार

आवंटन तिथि:

04/08/2014

वित्तीय वर्ष: 2014-2015

संख्या: 01 - -

कोषागार: सिविल लाइंस, इलाहाबाद

आयोजनेतर-मतदेय
(धनराशि रुपये में)

मानक मद	पूर्व आवंटन	वर्तमान आवंटन	प्रगामी आवंटन
43 - सामग्री एवं सम्पत्ति	3395401	2063487	5458888
योग :	3395401	2063487	5458888

(शिवाकांत शुक्ल)
वित्त नियंत्रक

मुख्यालय, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्र संख्या-474-एलाटमेंट 2014-15/21368-75

दिनांक : 04-08-2014

सेवा में,

वरिष्ठ अधीक्षक,
जिला कारागार,
गोरखपुर।

विषय:- वित्तीय वर्ष 2014-15 में बजट का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यालय के पत्र संख्या-12093/कृषि-अनु0-2 /11/09, दिनांक 09-05-2014 के सन्दर्भ में कारागार के ट्रेक्टर के पिछले दोनो बड़े टायर-ट्यूब का कय, पत्र में अंकित शर्तों के अधीन किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2014-15 में संलग्न आवंटन आदेश संख्या-474-एलाटमेंट 2014-15 /21368-75, दिनांक 04-08-2014 में अंकित मानक मद में बजट का आवंटन अनुदान संख्या-25 लेखाशीर्षक-2056-जेलें-आयोजनेत्तर-102-03-जेल उत्पाद के अन्तर्गत कुल रू0 29.715/- (रू0 उन्तीस हजार सात सौ पन्द्रह मात्र) किया जाता है।

बजट का आवंटन मात्र व्यय के लिये पर्याप्त आधार नहीं है, बल्कि व्यय के पूर्व प्रथम आवंटन आदेश में अंकित शर्तों/निर्देशों, सम्बन्धित शासनादेशों एवं वित्तीय नियमों का कड़ाई से अनुपालन किया जाये, जिन मामलों में सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी हो, उनमें ऐसी स्वीकृति पूर्व में अवश्य प्राप्त कर ली जाये तथा व्यय को प्राधिकृत विनियोग के भीतर ही रखा जाना सुनिश्चित किया जाए।

उक्त आवंटन को आवंटन रजिस्टर के पृष्ठ-190 पर अंकित कर लिया गया है।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

(शिवाकान्त शुक्ल)
वित्त नियंत्रक।

पृ0सं0- 474-एलाटमेंट 2014-15/21368-75 तददिनांकित-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. स्पीड पोस्ट मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, गोरखपुर। (संलग्नक-यथोपरि)।
2. स्पीड पोस्ट महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी (प्रथम), सी0पी0एण्ड जेल्स, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद। (संलग्नक-यथोपरि)।
3. उप सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4, लखनऊ। (संलग्नक-यथोपरि)।
4. शोध अधिकारी, मुख्यालय को विभागीय वेब साइट के उपयोगार्थ प्रेषित। (संलग्नक-यथोपरि)।
5. प्रशासनिक अधिकारी, कृषि अनुभाग, मुख्यालय। (संलग्नक-यथोपरि)।

(शिवाकान्त शुक्ल)
वित्त नियंत्रक।

2
5/8

कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं

आवंटन आदेश संख्या: 474-Allotment 2014-15/21368-75

कोषागार: 32 - गोरखपुर

अधिकारी / जनपद का संख्या: 2478 - वरिष्ठ अधीक्षक, जेल

अनुदान संख्या: 25 - गृह विभाग (कारागार)

लेखाशीर्षक: 2056 - जेल

102 - जेल उत्पाद

03 - समस्त कारागार

कोषागार: गोरखपुर

आवंटन तिथि: 04/08/2014

वित्तीय वर्ष: 2014-2015

अधिकारी कार्यालय संख्या: 01 - जिला कारागार

आयोजनेतर-मतदेय
(धनराशि रुपये में)

मानक मद	पूर्व आवंटन	वर्तमान आवंटन	प्रगामी आवंटन
15 - गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	0	29715	29715
योग :	0	29715	29715

(शिवाकांत शुक्ल)
वित्त नियंत्रक

मुख्यालय, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्र संख्या-471-एलाटमेंट 2014-15/21368-75

दिनांक : 04-08-2014

सेवा में,

वरिष्ठ अधीक्षक,
केन्द्रीय कारागार,
फतेहगढ़।

विषय:- वित्तीय वर्ष 2014-15 में बजट का आवंटन।

महोदय,

उपरोक्त विषयक मुख्यालय के पत्र संख्या-19852/उद्योग-2/207/2014, दिनांक 18-07-2014, पत्र संख्या-19850/उद्योग-2/207/2014, दिनांक 18-07-2014, एवं पत्र संख्या-19857/उद्योग-2/207/2014, दिनांक 18-07-2014 के सन्दर्भ में पत्र में अंकित सामग्रियों का कय, पत्र में अंकित शर्तों के अधीन किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2014-15 में सलग्न आवंटन आदेश संख्या-471-एलाटमेंट 2014-15/21368-75, दिनांक 04-08-2014 में अंकित मानक मद में बजट का आवंटन अनुदान संख्या-25 लेखाशीर्षक- 2056-जेल-आयोजनेत्तर- 102-03-जेल उत्पाद के अन्तर्गत कुल ₹0 2,71,685/- (₹0 दो लाख इकहत्तर हजार छः सौ पच्चासी मात्र) किया जाता है।

बजट का आवंटन मात्र व्यय के लिये पर्याप्त आधार नहीं है, बल्कि व्यय के पूर्व प्रथम आवंटन आदेश में अंकित शर्तों/निर्देशों, सम्बन्धित शासनादेशों एवं वित्तीय नियमों का कड़ाई से अनुपालन किया जाये, जिन मामलों में सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी हो, उनमें ऐसी स्वीकृति पूर्व में अवश्य प्राप्त कर ली जाये तथा व्यय को प्राधिकृत विनियोग के भीतर ही रखा जाना सुनिश्चित किया जाए।

उक्त आवंटन को आवंटन रजिस्टर के पृष्ठ-183 पर अंकित कर लिया गया है।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

(शिवाकान्त शुक्ल)
वित्त नियंत्रक।

पू0सं0- ¹⁷¹471-एलाटमेंट 2014-15/21368-75 तद्विनांकित-

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -
1. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, फर्रुखाबाद। (संलग्नक-यथोपरि)।
 2. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी (प्रथम), सी0पी0एण्ड जेल्स, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद। (संलग्नक-यथोपरि।)
 3. उप सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4, लखनऊ। (संलग्नक-यथोपरि।)
 4. शोध अधिकारी, मुख्यालय को विभागीय वेब साइट के उपयोगार्थ प्रेषित। (संलग्नक-यथोपरि।)
 5. प्रशासनिक अधिकारी, उद्योग अनुभाग, मुख्यालय। (संलग्नक-यथोपरि।)

(शिवाकान्त शुक्ल)
वित्त नियंत्रक।

171
6/18

कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं

आवंटन आदेश संख्या: 471-Allotment 2014-15/21368-75

कोषागार: 18 - फरुखाबाद

अधिकारी / जनपद का संख्या: 2477 - वरिष्ठ अधीक्षक, सेंट्रल जेल

अनुदान संख्या: 25 - गृह विभाग (कारागार)

लेखाशीर्षक: 2056 - जेल

102 - जेल उत्पाद

03 - समस्त कारागार

कोषागार: फरुखाबाद

आवंटन तिथि:

04/08/2014

वित्तीय वर्ष: 2014-2015

अधिकारी कार्यालय संख्या: 01 - -

आयोजनेतर-मतदेय
(धनराशि रुपये में)

मानक मद	पूर्व आवंटन	वर्तमान आवंटन	प्रगामी आवंटन
43 - सामग्री एवं सम्पत्ति	245884	271685	517569
योग :	245884	271685	517569

(शिवाकांत शुक्ल)
वित्त नियंत्रक

मुख्यालय, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्र संख्या-475-एलाटमेट 2014-15/21368-75

दिनांक : 04-08-2014

सेवा में,

वरिष्ठ अधीक्षक,
केंद्रीय कारागार,
बरेली।

विषय:- वित्तीय वर्ष 2014-15 में बजट का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यालय के पत्र संख्या-19845(iii)/उद्योग-2/208/2014, दिनांक 15-07-2014, पत्र संख्या-19852/उद्योग-2/207/2014, दिनांक 18-07-2014, पत्र संख्या-19850/उद्योग-2/207/2014, दिनांक 18-07-2014 एवं पत्र संख्या-19857/उद्योग-2/207/2014, दिनांक 18-07-2014 के सन्दर्भ में पत्र में अंकित सामग्रियों का क्रय, पत्र में अंकित शर्तों के अधीन किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2014-15 में संलग्न आवंटन आदेश संख्या -475-एलाटमेट 2014-15/21368-75, दिनांक 04-08-2014 में अंकित मानक मद में बजट का आवंटन अनुदान संख्या-25 लेखाशीर्षक-2056-जेल-आयोजनेत्तर-102-03-जेल उत्पाद के अन्तर्गत कुल ₹0 49,68,858/- (₹0 उन्चास लाख अरसठ हजार आठ सौ अट्ठावन मात्र) किया जाता है।

बजट का आवंटन मात्र व्यय के लिये पर्याप्त आधार नहीं है, बल्कि व्यय के पूर्व प्रथम आवंटन आदेश में अंकित शर्तों/निर्देशों, सम्बन्धित शासनादेशों एवं वित्तीय नियमों का कड़ाई से अनुपालन किया जाये, जिन मामलों में सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी हो, उनमें ऐसी स्वीकृति पूर्व में अवश्य प्राप्त कर ली जाये तथा व्यय को प्राधिकृत विनियोग के भीतर ही रखा जाना सुनिश्चित किया जाए।

उक्त आवंटन को आवंटन रजिस्टर के पृष्ठ-168 पर अंकित कर लिया गया है।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

(शिवाकान्त शुक्ल)
वित्त नियंत्रक।

1/1

पृ0सं0- 475-एलाटमेट 2014-15/21368-75 तददिनांकित-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- स्पीड पोस्ट 1. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, बरेली। (संलग्नक-यथोपरि)।
- स्पीड पोस्ट 2. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी (प्रथम), सी0पी0एण्ड जेल्स, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद। (संलग्नक-यथोपरि)।
3. उप सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4, लखनऊ। (संलग्नक-यथोपरि)।
4. शोध अधिकारी, मुख्यालय को, विभागीय वेब साइट के उपयोगार्थ प्रेषित। (संलग्नक-यथोपरि)।
5. प्रशासनिक अधिकारी, उद्योग अनुभाग, मुख्यालय। (संलग्नक-यथोपरि)।

(शिवाकान्त शुक्ल)
वित्त नियंत्रक।

१/१

कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं

आवंटन आदेश संख्या: 475-Allotment 2014-
15/21368-75

कोषागार: 11 - बरेली

अधिकारी / जनपद का संख्या: 2477 - वरिष्ठ अधीक्षक,
सेंट्रल जेल

अनुदान संख्या: 25 - गृह विभाग (कारागार)

लेखाशीर्षक: 2056 - जेल

102 - जेल उत्पाद

03 - समस्त कारागार

आवंटन तिथि:

04/08/2014

वित्तीय वर्ष: 2014-2015

अधिकारी कार्यालय

संख्या: 01 - -

कोषागार: बरेली

आयोजनेतर-मतदेय

(धनराशि रुपये में)

मानक मद	पूर्व आवंटन	वर्तमान आवंटन	प्रगामी आवंटन
43 - सामग्री एवं सम्पत्ति	1011759	4968858	5980617
योग :	1011759	4968858	5980617

(शिवाकांत शुक्ल)
वित्त नियंत्रक

मुख्यालय, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्र संख्या-469-एलाटमेंट 2014-15/21368-75

दिनांक : 04-08-2014

सेवा में,

वरिष्ठ अधीक्षक,
केन्द्रीय कारागार,
आगरा।

विषय:- वित्तीय वर्ष 2014-15 में बजट का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यालय के पत्र संख्या-19850/उद्योग-2/207/2014, दिनांक 18-07-2014, पत्र संख्या-19857/उद्योग-2/207/2014, दिनांक 18-07-2014, पत्र संख्या-20900(3)/उद्योग-2/2014, दिनांक 31-07-2014, पत्र संख्या-20901(3)/उद्योग-2/2014, दिनांक 31-07-2014, पत्र संख्या-20902(3)/उद्योग-2/2014, दिनांक 31-07-2014, पत्र संख्या-20903(3)/उद्योग-2/2014, दिनांक 31-07-2014, पत्र संख्या-20904(3)/उद्योग-2/2014, दिनांक 31-07-2014 एवं पत्र संख्या-20905(3)/उद्योग-2, दिनांक 31-07-2014, के सन्दर्भ में पत्र में अंकित सामग्रियों का क्रय पत्र में अंकित शर्तों के अधीन किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2014-15 में संलग्न आवंटन आदेश संख्या-469-एलाटमेंट 2014-15/21368-75, दिनांक 04-08-2014 में अंकित मानक मुद् में बजट का आवंटन अनुदान संख्या-25 लेखाशीर्षक-2056-जेल-आयोजनेत्तर-102-03-जेल उत्पाद के अन्तर्गत कुल रू० 29,45,299/- (रू० उन्तीस लाख पैंतालीस हजार दो सौ निम्नानवे मात्र) किया जाता है।

बजट का आवंटन मात्र व्यय के लिये पर्याप्त आधार नहीं है, बल्कि व्यय के पूर्व प्रथम आवंटन आदेश में अंकित शर्तों/निर्देशों, सम्बन्धित शासनादेशों एवं वित्तीय नियमों का कड़ाई से अनुपालन किया जाये, जिन मामलों में सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी हो, उनमें ऐसी स्वीकृति पूर्व में अवश्य प्राप्त कर ली जाये तथा व्यय को प्राधिकृत विनियोग के भीतर ही रखा जाना सुनिश्चित किया जाए।

उक्त आवंटन को आवंटन रजिस्टर के पृष्ठ-164 पर अंकित कर लिया गया है।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

(शिवाकान्त शुक्ल)
वित्त नियंत्रक।

पू०सं०- ¹²¹469-एलाटमेंट 2014-15/21368-75 तद्दिनांकित-

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-
1. मुख्य/वरिष्ठ, कोषाधिकारी, आगरा। (संलग्नक-यथोपरि)।
 2. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी (प्रथम), सी०पी०एण्ड जेल्स, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद। (संलग्नक-यथोपरि।)
 3. उप सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4, लखनऊ। (संलग्नक-यथोपरि।)
 4. शोध अधिकारी, मुख्यालय को विभागीय वेब साइट के उपयोगार्थ प्रेषित। (संलग्नक-यथोपरि।)
 5. प्रशासनिक अधिकारी, उद्योग अनुभाग, मुख्यालय। (संलग्नक-यथोपरि।)

R
6/8

(शिवाकान्त शुक्ल)
वित्त नियंत्रक।

कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं

आवंटन आदेश संख्या: 469-Allotment 2014-15/21368-75

आवंटन तिथि:

04/08/2014

कोषागार: 08 - आगरा

वित्तीय वर्ष: 2014-2015

अधिकारी / जनपद का संख्या: 2477 - वरिष्ठ अधीक्षक सेंट्रल जेल

अधिकारी कार्यालय संख्या: 01 - -

अनुदान संख्या: 25 - गृह विभाग (कारागार)

लेखाशीर्षक: 2056 - जेल

102 - जेल उत्पाद

03 - सम्स्त कारागार

आयोजनेतर-मतदेय

(धनराशि रुपये में)

कोषागार: आगरा

मानक मद

पूर्व आवंटन

वर्तमान
आवंटन

प्रगामी
आवंटन

43 - सामग्री एवं
सम्पत्ति

1909376

2945299

4854675

योग :

1909376

2945299

4854675

(शिवाकांत शुक्ल)
वित्त नियंत्रक